सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड-I)

2020-2021

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड – I)

2020 – 2021

मध्यप्रदेश सरकार

विषय–सूची

खण्ड–I

विषय		पृष्ठ
▪	विषय सूची	i-ii
▪	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र	iii-iv
▪	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vi-xii
विवरण पत्रक संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक	1-2
विवरण पत्रक संख्या 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक अनुलग्नक – रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश	3-8
विवरण पत्रक संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	9-11
विवरण पत्रक संख्या 4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	12-17
विवरण पत्रक संख्या 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक	18-20
विवरण पत्रक संख्या 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक	21-24
विवरण पत्रक संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक	25-26
विवरण पत्रक संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक	27
विवरण पत्रक संख्या 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक	28
विवरण पत्रक संख्या 10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक	29
विवरण पत्रक संख्या 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक	30
विवरण पत्रक संख्या 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक	31-34
विवरण पत्रक संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश	35-36
▪	लेखों पर टिप्पणियां	37-64

खण्ड–II

भाग–I :

विवरण पत्रक संख्या 14	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	67-104
विवरण पत्रक संख्या 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	105-144
विवरण पत्रक संख्या 16	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक	145-255
विवरण पत्रक संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक	256-268
विवरण पत्रक संख्या 18	राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक	269-297
विवरण पत्रक संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक	298-337
विवरण पत्रक संख्या 20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक	338-341
विवरण पत्रक संख्या 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन–देनों का विस्तृत विवरण पत्रक	342-352
विवरण पत्रक संख्या 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक	353-355

विषय–सूची – समाप्त

विषय		पृष्ठ
भाग–II :		
परिशिष्ट संख्या I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	357-360
परिशिष्ट संख्या II	राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय	361-362
परिशिष्ट संख्या III	राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता (संस्थावार एवं योजनावार)	363-374
परिशिष्ट संख्या IV	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	375-383
परिशिष्ट संख्या V	योजनाओं पर व्यय	384-400
	अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं)	
	ब. राज्य योजनाएं	
परिशिष्ट संख्या VI	राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर) (अलेखापरीक्षित राशियाँ)	401-406
परिशिष्ट संख्या VII	शेषों की स्वीकृति एवं पुनर्मिलान (जैसा विवरण 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)	407
परिशिष्ट संख्या VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम	408
परिशिष्ट संख्या IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची	409-411
परिशिष्ट संख्या X	वेतन एवं अवेतन हिस्से के पृथक्करण सहित अनुरक्षण व्यय	412-419
परिशिष्ट संख्या XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	420-421
परिशिष्ट संख्या XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	422
परिशिष्ट संख्या XIII	राज्यों के पुनर्गठन – शेषों की मदें जिनका बंटवारा राज्यों के मध्य/बीच अंतिम रूप से नहीं किया गया है	423

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया गया है, खण्ड–I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खण्ड–II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाऊचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। विवरण संख्या 10(ii), विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक तथा परिशिष्ट (VIII, IX तथा XII) व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ/पाद टिप्पणियाँ/विवरण संख्या 7 (अनुभाग–3), 8, 12, 13, 15, 16, 18 तथा 19 में अतिरिक्त प्रकटन मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। विवरण संख्या 9 तथा 20 मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की गयी प्रत्याभूतियों के स्वीकृति आदेशों के आधार पर तैयार किये गये हैं। परिशिष्ट–VI पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ–साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबन्धन ढांचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी संपूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे, 2020–21 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्‌भूत महत्वूपर्ण मुद्दे 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल है।

दिनांक : 08 फरवरी 2022
स्थान : नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. मध्यप्रदेश राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व और पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकलित राज्य सरकार के लोक ऋण और दायित्व तथा परिसंपत्तियों के लेखाओं को प्रदर्शित करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग–I :– समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे–संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (भारित व्यय) होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

समेकित निधि में दो अनुभाग होते हैंः राजस्व तथा पूंजीगत (''लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां'' सहित)। ये अनुभाग आगे ''प्राप्तियाँ'' तथा ''व्यय'' के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग तीन क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, ''कर राजस्व'', ''करेतर राजस्व'' एवं ''सहायता अनुदान तथा अंशदान''। ये तीन क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – ''आय एवं व्यय पर कर'', ''राजकोषीय सेवाएं'' आदि। पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग के अन्तर्गत क्षेत्र, उपक्षेत्र (सेक्टर, सब सेक्टर) नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, ''सामान्य सेवाएँ'', ''सामाजिक सेवाएँ'', ''आर्थिक सेवाएँ'' और ''सहायता अनुदान तथा अंशदान''। राजस्व व्यय अनुभाग के ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – ''राज्य के अंग'' ''शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति'' आदि। पूँजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रों (सेक्टर) में उप–विभाजित होता है यथा – ''सामान्य सेवाएँ'', ''सामाजिक सेवाएँ'', ''आर्थिक सेवाएं'', ''लोक ऋण'', ''कर्ज तथा उधार'', ''अंतर्राज्यीय परिशोधन'' तथा ''आकस्मिकता निधि को अन्तरण''।

भाग–II : आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। वर्ष 2020–21 के लिए मध्यप्रदेश सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ है।

भाग–III : लोक लेखा : अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से दर्ज होने तक, दोनों अल्पकालिक है) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहती है। लोक लेखे में छः क्षेत्र (सेक्टर) समाविष्ट है, यथा – ''लघु बचतें'', ''भविष्य निधियाँ'', ''आरक्षित निधियाँ'', ''जमा एवं अग्रिम'', ''उचंत एवं विविध'', ''प्रेषण'' तथा ''रोकड़ शेष''। ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उप क्षेत्रों में उप–विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं होता है।

3. शासकीय लेखा छः स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता हैं, यथा – मुख्यशीर्ष (चार अंक), उप मुख्यशीर्ष (दो अंक), लघुशीर्ष (तीन अंक), उपशीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंक) तथा उद्देश्य शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के क्रिया–कलाप प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्यशीर्ष उप क्रिया कलाप प्रदर्शित करते हैं, लघुशीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियां दर्शाते हैं, उपशीर्ष योजना, विस्तृत शीर्ष उप–योजना दर्शाते हैं तथा उद्देश्य शीर्ष व्यय का प्रयोजन/उद्देश्य दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष होता है, जो निम्नानुसार संकेत प्रतिमान (कोडिंग पैटर्न) में हैं (31 मार्च 2021 तक संशोधित मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार)।

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (''लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां'' सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोग
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतया (कुछ अपवादों सहित), लघुशीर्ष तक लेन–देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर दर्शाए जाते हैं अर्थात् वसूलियों को व्यय की कमी के रूप में लेखाकरण करने के उपरांत। यह प्रतिपादन विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों के लिए माँग एवं विनियोग लेखों में दर्शाए जाने वाले से भिन्न होता है, जहाँ व्यय सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

6. लेखे की संरचना का चित्र प्रदर्शन नीचे किया गया है :

सरकारी लेखे की संरचना

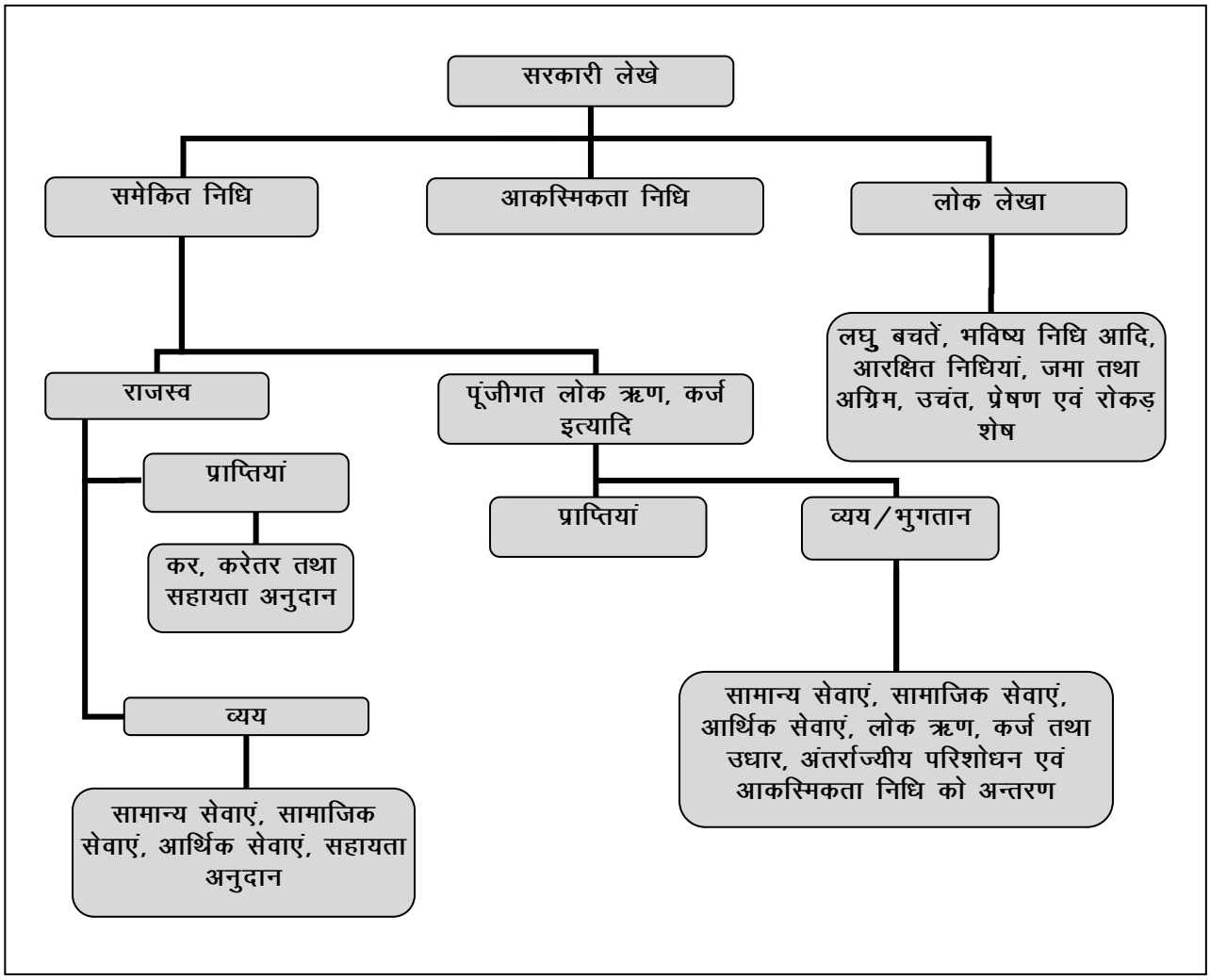

ख. वित्त लेखे में क्या निहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड–I में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरण पत्रक जो राज्य सरकार की चालू वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति एवं लेन–देनों की संक्षिप्त जानकारी दर्शाते हैं, लेखों पर टिप्पणियाँ और लेखों पर टिप्पणियों के अनुलग्नक सम्मिलित है। खण्ड–I के 13 विवरण पत्रकों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्वों के संचयी आंकड़े जो वर्षान्त में तथा पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति की तुलना में है, दर्शाता है।

2. **प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की वर्ष के दौरान तीन भागों जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यथा – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियाँ और संवितरण दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाने वाला इसका एक अनुलग्नक है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति भी दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)** : इस विवरण पत्रक में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ और उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान शामिल होता है। यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 17 एवं 18 के समरूप होता है।

4. **व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)** : वित्त लेखे के लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य प्रदर्शन से पृथक यह विवरण पत्रक व्यय का, गतिविधियों (व्यय का उद्देश्य) की प्रकृति अनुसार विस्तृत विवरण भी दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 15, 16, 17 एवं 18 के समरूप है।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 16 के समरूप है।

6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक** : राज्य द्वारा उधार लेने में, उसके द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य दायित्वों में ''अल्प बचतें'', ''भविष्य निधियाँ आदि'', ''आरक्षित निधियां'' तथा ''जमा'' शामिल हैं। विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी होती है तथा यह खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 17 के समरूप होता है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा ऋणियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा वैयक्तिक प्राप्तिकर्त्ता (शासकीय सेवकों सहित) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 18 के समरूप होता है।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक सांविधिक निकायों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साधारण पूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 19 के समरूप होता है।

9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के मूल के पुनर्भुगतान एवं ऋणों पर ब्याज पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सारांशीकरण है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 20 के समरूप होता है।

10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा अनुदान ग्रहीता की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा व्यक्ति को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट–III प्राप्तिकर्त्ता संस्थाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक वित्त लेखे में दर्शित हो रहे निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्शित हो रहे सकल आंकड़ों के मध्य मिलान में सहायता प्रदान करता है।

12. **राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय को अदा करने के सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य से, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष तथा उधार से पूरा किया जाता है।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों के सारांश** : यह विवरण पत्रक लेखे की शुद्धता को सिद्ध करने में सहायक होता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 के समरूप होता है।

वित्त लेखे के खण्ड–II के दो भाग हैं – भाग–I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग–II में तेरह परिशिष्ट हैं।

खण्ड–II का भाग–I

14. **राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड–I के संक्षिप्त विवरण पत्रक–3 के समरूप होता है।

15. **राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड–I में संक्षिप्त विवरण पत्रक–4 के समरूप है, राज्य सरकार का राजस्व व्यय आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक–पृथक दर्शाया जाता है।

16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड–I में संक्षिप्त विवरण पत्रक 5 के समरूप है, राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय, आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना, केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत (वर्ष के दौरान एवं संचयी) दर्शाता है। प्रभारित तथा दत्तमत व्यय पृथक–पृथक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाने के लिए, यह विवरण पत्रक उप शीर्ष स्तर पर भी विस्तृत विवरण दर्शाता है।

17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड–I में संक्षिप्त विवरण पत्रक–6 के अनुरूप है, में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये सभी ऋणों के ब्यौरे (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। यह विवरण पत्रक ऋण पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करता है – (क) व्यक्तिगत ऋण के ब्यौरे (ख) परिपक्वता स्थिति जैसे विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित भुगतान योग्य राशि तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर स्थिति तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।

18. **राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक खण्ड–I में संक्षिप्त विवरण पत्रक–7 के समरूप है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक, विवरण पत्रक 16 एवं 19 के मध्य इकाईवार निवेश और मुख्य एवं लघु शीर्षवार विस्तृत विसंगतियों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–I में विवरण पत्रक–8 के समरूप होता है।

20. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक शासकीय प्रतिभूतियों का इकाईवार विवरण दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–I में विवरण पत्रक 9 के समरूप है।

21. **आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन–देनों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अनापूरित राशि के ब्यौरे, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन–देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों की स्थिति दर्शाता है।

22. **उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड–II का भाग–II

भाग–II में वेतन, राज सहायता, सहायक अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, बृहद् केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य योजनाओं से संबंधित योजनावार व्यय से संबंधित मदों के सहित तेरह परिशिष्ट शामिल हैं। यह ब्यौरे उपशीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघुशीर्ष स्तर से नीचे) के लेखाओं जिन्हें सामान्यतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, को प्रस्तुत करते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड–I या II की विषय सूची में दर्शित है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

ग. त्वरित गणना पत्रक

नीचे दी गई सारणी खण्ड–I के अंतर्गत वर्णित संक्षिप्त विवरणों का संबंध खण्ड–II के विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से दर्शाती है (ऐसे परिशिष्ट जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा संबंध नहीं है, को यहां नहीं दिखाया गया है)।

मापदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड–I)	विस्तृत विवरण खण्ड–II	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त अनुदानों सहित), पूंजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	–
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	–	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गये ऋण और अग्रिम	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	–
ऋण स्थिति/उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	–
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश	8	16, 19	–
रोकड़	1, 2, 12, 13	–	–
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1, 2, 6, 7, 12, 13	21, 22	–
प्रत्याभूति	9	20	–
अन्तर्राज्यीय समायोजन	2, 3, 4, 12, 13	–	
योजनाएं	–	–	IV (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (योजना व्यय) एवं VI (राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण)

घ. आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजन

कुछ लेन–देन जो लेखा में प्रकट होते हैं, इन्द्राज के समय नगद के वास्तविक प्रचालन से अन्तर्ग्रस्त नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लेन–देन उन लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर किये जाते हैं (जैसे – कोषालय, संभाग इत्यादि)। उदाहरण के लिये, लेन–देन, जिनमें वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन शामिल होते हैं (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिम की वसूली आदि) पुस्तकीय समायोजन द्वारा राजस्व प्राप्तियों/ ऋणों/लोक लेखे को कार्यात्मक मुख्यशीर्ष का नामे करते हुए (संबंधित विभागों से सम्बद्ध) अभिलिखित किए जाते हैं। इसी तरह ''निरंक'' राशि वाले देयक, जहां धनराशि समेकित निधि और लोक लेखा के बीच अंतरित होती है लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर रोकड़ रहित लेन–देनों को दर्शाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण लेखों पर टिप्पणियाँ के अनुलग्नक (खण्ड–I) एवं संबंधित विवरण पत्रकों की पाद टिप्पणी में वर्णित होता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन/निधियों का सृजन जैसे – राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निक्षेप शीर्ष को जमा करना।

(3) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज को मुख्यशीर्ष 2049–ब्याज अदायगियां को नामे कर तथा मुख्यशीर्ष 8009–राज्य भविष्य निधि तथा मुख्यशीर्ष 8011–बीमा एवं पेंशन निधि को जमा कर सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) पर ब्याज एवं राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना का वार्षिक समायोजन।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन किया जाना। ये समायोजन (अपलिखित किए गए केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाएं को जमा कर एवं मुख्यशीर्ष 6004–केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम को विपरीत प्रविष्टि कर) दोनों राजस्व प्राप्तियों और लोक ऋण पर असर डालते हैं।

ङ. पूर्णांक

₹ 0.01 लाख/करोड़ का अंतर जहाँ कहीं भी परिलक्षित हो रहा है, पूर्णांक के कारण है।

1: वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियाँ (क)	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
रोकड़			**1,80,69.32**	**70,60.93**
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	निरंक	विवरण सं. 2 का अनुलग्नक	निरंक	निरंक
(ii) विभागीय शेष	निरंक	21	(-) 2.43	(-) 3.21
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	निरंक	21	0.83	0.83
(iv) नकद शेष निवेश लेखा	निरंक	21	2,07,88.72	1,12,70.17
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि शेष जमा हो तो ऋणात्मक चिह्न के साथ यहाँ शामिल हो)	निरंक	विवरण सं. 2 का अनुलग्नक	(-) 36,42.21(ख)(ग)	(-) 46,23.28
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	निरंक	22	9,24.41(घ)	4,16.42
पूंजीगत व्यय			**27,27,54.80**	**24,23,99.03**
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	3(x)	विवरण सं. 8, 19	3,90,91.86	3,63,73.52
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	निरंक	विवरण सं. 5, 16	23,36,62.94(ङ)	20,60,25.51
आकस्मिकता निधि (अनापूरित)	4	निरंक	निरंक	निरंक
ऋण तथा अग्रिम	3(iii)	विवरण सं. 7, 18	**4,37,57.15**	**4,30,85.15**
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	निरंक	21	3.48	**3.48**
उचंत तथा विविध शेष(च)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्रेषण शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य(छ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग			**33,45,84.75**	**29,25,48.59**

(क) परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं। कृपया 'लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत टिप्पणी 1(ii) भी देखें।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) को अनंतिम रूप से आवंटित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्त्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) मार्च 2020 की समाप्ति की स्थिति में ''भारतीय रिजर्व बैंक जमा'' में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 35,84.24 करोड़ (नामे) तथा महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹ 36,42.21 (जमा) करोड़ के मध्य निवल अंतर ₹ 57.97 करोड़ (नामे) के अंतर्गत है। रिजर्व बैंक जमा में यह अंतर एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेनदेनों को गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

(घ) कंपनियों इत्यादि के शेयरों में 'उद्दिष्ट निधियों' में से किए गए निवेश' पूंजीगत व्यय में से हटाए गए हैं' तथा 'उद्दिष्ट निधियों' से निवेश ₹ 9,24.41 करोड़ (राजस्व आरक्षित निधियां ₹ 7.61 करोड़, राज्य कृषि साख सहायता, और प्रत्याभूति निधि ₹ 0.02 करोड़, प्रत्याभूति मोचन निधि ₹ 9,16.77 तथा मध्यप्रदेश सरकार की अन्य निधियां ₹ 0.01 करोड़) में शामिल किए गए हैं।

(ङ) पूंजीगत व्यय (विवरण संख्या 5 एवं 16) में अन्य पूंजीगत व्यय एवं निवेश पर व्यय शामिल है।

(च) इस विवरण में पंक्ति मद 'उचंत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थाई रोकड़ अग्रदाय' शामिल नहीं हैं, जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन्हें लेखों में अन्यत्र इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(छ) 'प्राप्तियों पर व्यय' का संचयी आधिक्य अथवा 'व्यय पर प्राप्तियों' का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा को प्रदर्शित नहीं करते है।

विवरण पत्रक संख्या 1 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)			**23,32,41.91**	**18,08,28.71**
(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	6, 17	20,27,19.20	15,97,92.74
बाजार ऋण	निरंक	6, 17	15,41,40.71	11,53,67.71
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	6, 17	निरंक	निरंक
प्रतिकर तथा अन्य बंधपत्र	निरंक	6, 17	73,60.44	73,60.44
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	निरंक	6, 17	1,07,85.16	1,02,13.22
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	निरंक	6, 17	3,04,32.89	2,68,51.37
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	निरंक	6, 17	3,05,22.71	2,10,35.97
योजनेत्तर ऋण	निरंक	6, 17	21.21	24.73
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6, 17	1,47,02.66	1,61,41.44
राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	निरंक	6, 17	1,57,96.96	48,67.92
अन्य ऋण	निरंक	6, 17	1.88	1.88
आकस्मिकता निधि (कोष)	4	21	**5,00.00**	**5,00.00**
लोक लेखा पर दायित्व			**5,98,92.68**	**5,14,22.14**
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	निरंक	12, 17, 21	1,98,94.09	1,90,33.74
(ii) जमा	निरंक	12, 17, 21	2,03,33.41	1,88,09.47
(iii) आरक्षित निधियाँ	निरंक	12, 21, 22	1,67,53.30	1,23,16.00
(iv) प्रेषण शेष	निरंक	12, 21	31,64.63	21,61.37
(v) उचंत तथा विविध शेष	निरंक	21	(-) 2,52.75(क)	(-) 8,98.44
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	निरंक	निरंक	4,09,50.16(ख)(ग)	5,97,97.74
योग			**33,45,84.75**	**29,25,48.59**

(क) उचंत तथा विविध शेषों की राशि में मुख्यशीर्ष 8658–उचंत लेखे की राशि ₹ 8,62.43 करोड़ (नामे), मुख्यशीर्ष 8679 – अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे 0.15 करोड़ (नामे) तथा मुख्यशीर्ष 8670 – चैक तथा बिल की राशि ₹ 6,09.83 करोड़ (जमा) के शेष सम्मिलित है।

(ख) सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006–07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के ₹ 9.19 करोड़ सम्मिलित हैं।

(ग) मुख्यशीर्ष 4000–विविध पूंजीगत प्राप्तियां, लघुशीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां के ₹ 3,29.66 करोड़ शामिल हैं, जो विवरण संख्या 12 में पूंजीगत एवं अन्य व्यय से घटाये गये हैं।

2: प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2020–21	2019–20		2020–21	2019–20
भाग – I समेकित निधि					
अनुभाग – अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)***	**14,63,76.79**	**14,76,43.35**	**राजस्व व्यय** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 15)***	**16,47,33.01**	**15,04,44.30**
कर राजस्व ***(संदर्भ विवरण पत्रक 3 एवं 14)***	**10,13,72.67**	**10,53,41.30**	वेतन[1] *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–ख एवं परिशिष्ट–I)*	3,56,90.53	2,93,84.30
कर राजस्व (राज्य द्वारा एकत्रित गया) ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)***	5,44,58.92	5,58,23.69	**राजसहायता[1, 2]** ***(संदर्भ : परिशिष्ट–II)***	1,35,56.04	1,25,38.53
संघ करों / शुल्कों का भाग ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)***	4,69,13.75	4,95,17.61	**सहायता अनुदान[1, 3]** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–ख, 10 एवं परिशिष्ट–III)***	5,81,26.67	5,89,66.38
करेतर राजस्व ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)***	**99,02.13**	**1,03,49.56**	**सामान्य सेवाएं** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4 एवं 15)***	**3,72,39.28**	**3,05,07.12**
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	2,43.01	4,42.54	ब्याज भुगतान तथा ऋण शोधन *(संदर्भ :विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 15)*	1,59,17.87	1,42,16.52
अन्य (संदर्भ :विवरण पत्रक 3)	96,59.12	99,07.02	पेंशन *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 15)*	1,46,70.70	1,20,53.49
			अन्य *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–ख)*	66,50.71	42,37.11
			सामाजिक सेवाएं ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 15)***	**1,07,78.81**	**96,70.25**
			आर्थिक सेवाएं ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 15)***	**34,41.39**	**34,77.48**
केन्द्र सरकार से अनुदान ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)***	**3,51,01.99**	**3,19,52.49**	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्त्ति तथा समनुदेशन** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 15)***	**59,00.29**	**59,00.24**
राजस्व घाटा	**1,83,56.22**	**28,00.95**	***राजस्व आधिक्य***	**निरंक**	**निरंक**

1 वेतन राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, क्षेत्र (क) 'सामान्य', (ख) 'सामाजिक' एवं (ग) 'आर्थिक' से एकत्रित की गई है। वेतन की राशि ₹ 89,45.28 करोड़, ₹ 2,29,81.75 करोड़ एवं ₹ 37,63.50 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है। राजसहायता की राशि ₹ 16,27.65 करोड़, ₹ 16,21.94 करोड़ एवं ₹ 1,03,06.45 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है। सहायता अनुदान की राशि ₹ 72.80 करोड़, ₹ 3,33,74.26 करोड़ एवं ₹ 2,46,79.61 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है।

2 विवरण पत्रक संख्या 2 के राजसहायता के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र–घ (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) जिसमें विशेष रूप से राजसहायता एवं सहायता अनुदान समाविष्ट है (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन सहित) से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4 एवं परिशिष्ट–II के आंकड़ों से ₹ 1,13.00 करोड़ से भिन्न है तथापि यह विवरण संख्या 15 से ₹ 89.00 करोड़ से भिन्न है जो क्षेत्र–घ से संबंधित है।

3 विवरण पत्रक संख्या 2 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र–घ से संबंधित व्यय एवं पूंजीगत अनुभाग के तहत वर्गीकृत सहायता अनुदान के व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4, 10, 15 एवं परिशिष्ट–III के आंकड़ों से ₹ 61,44.29 करोड़ से भिन्न है। हालांकि यह विवरण पत्रक संख्या 15 से ₹ 58,11.29 करोड़ से भिन्न है, जो कि क्षेत्र–घ से संबंधित है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2020–21	**2019–20**		**2020–21**	**2019–20**
भाग – I समेकित निधि – जारी					
अनुभाग– ब : पूंजीगत					
पूँजीगत प्राप्तियाँ ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)***	**14.46**	**13.66**	**पूंजीगत परिव्यय**[4,5] ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 16)***	**3,03,55.77**	**2,92,41.48**
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 16)*	9,74.06	9,82.03
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 16)*	81,32.07	69,21.98
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 16)*	2,12,49.64	2,13,37.47
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 7 एवं 18)***	**58.32**	**45.86**	**ऋण तथा अग्रिम संवितरित** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)***	**12,30.32**	**9,87.16**
सामान्य सेवाएं	1.50	1.35	सामान्य सेवाएं *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)*	28.76	निरंक
सामाजिक सेवाएं	42.01	35.80	सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)*	7,30.84	3,58.12
आर्थिक सेवाएं	14.80	8.69	आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)*	4,70.72	6,29.04
शासकीय कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	0.01	0.02	अन्य (संदर्भ :विवरण पत्रक 7)	निरंक	निरंक
लोक ऋण प्राप्तियाँ ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)***	**6,51,70.50**	**3,43,64.41**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 6 एवं 17)***	**1,27,57.30**	**1,09,33.62**
आंतरिक ऋण[6] *(बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ. इत्यादि)* *(संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)*	5,42,41.46(ख)	2,94,96.49(क)	आंतरिक ऋण, (बाजार ऋण एन.एस.एस.एफ. इत्यादि) *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 6 एवं 17)*	1,13,15.00(घ)	97,13.06(ग)

4 वर्ष 2019–20 में ₹ 2,51.35 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 में ₹ 2,25.60 करोड़ (सामाजिक क्षेत्र में ₹ 16.12 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में ₹ 2,09.48 करोड़) वेतन राशि के रूप में सम्मिलित है।

5 वर्ष 2019–20 में ₹ 2,57.40 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 में ₹ 3,33.00 करोड़ (सामाजिक क्षेत्र में ₹ 45.73 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में ₹ 2,87.27 करोड़) सहायता अनुदान की राशि के रूप में सम्मिलित है। पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत सहायता अनुदान का प्रावधान करने विषयक राज्य शासन को लिखा गया है।

6 आंतरिक ऋण में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से संबंधित प्राप्तियां (क) ₹ 62,73.28 करोड़ (ख) ₹ 51,47.11 करोड़ और संवितरण (ग) ₹ 26,91.76 करोड़ (घ) ₹ 21,77.04 करोड़ सम्मिलित है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2020–21	**2019–20**		**2020–21**	**2019–20**
भाग – I समेकित निधि – समाप्त					
अनुभाग– ब : पूंजीगत					
भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)*	1,09,29.04	48,67.92	भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 6 एवं 17)*	14,42.30	12,20.56
अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा	**(-) 0.02**	**(-) 0.25**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा**	**(-) 0.25**	**(-) 0.62**
			आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 3)***	**21,16,20.05**	**18,20,67.03**	**कुल व्यय समेकित निधि** ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 4)***	**20,90,76.15**	**19,16,05.93**
समेकित निधि में घाटा	**निरंक**	**93,38.90**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**25,43.90**	**निरंक**
भाग–II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**निरंक**	**निरंक**	**आकस्मिकता निधि** ***(संदर्भ: विवरण पत्रक 21)***	**निरंक**	**निरंक**
भाग–III लोक लेखा[7]					
लघु बचतें ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**50,54.13**	**50,84.92**	**लघु बचतें** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)***	**41,93.79**	**26,28.50**
आरक्षित एवं निक्षेप निधि ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**82,84.84**	**90,13.01**	**आरक्षित एवं निक्षेप निधि** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)***	**43,55.52**	**31,87.38**
जमा ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**5,86,86.91**	**3,71,50.64**	**जमा** ***(संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)***	**5,71,62.97**	**3,26,01.38**
अग्रिम ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**निरंक**	**निरंक**	**अग्रिम** ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**निरंक**	**0.08**
उचंत एवं विविध ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**43,12,24.73**	**27,35,26.71**	**उचंत एवं विविध**[8] ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**44,01,04.45**	**27,77,10.26**
प्रेषण ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**1,55,12.93**	**1,73,55.86**	**प्रेषण** ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**1,45,09.67**	**1,74,24.40**
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**51,87,63.54**	**34,21,31.14**	**कुल संवितरण लोक लेखा** ***(संदर्भ:विवरण पत्रक 21)***	**52,03,26.40**	**33,35,52.00**
लोक लेखा में घाटा	**15,62.86**	**निरंक**	**लोक लेखा में आधिक्य**	**निरंक**	**85,79.14**
प्रारंभिक रोकड़ शेष	**(-) 46,23.28**	**(-) 36,63.52**	**अंतिम रोकड़ शेष**	**(-) 36,42.21**	**(-) 46,23.28**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**9,81.07**	**निरंक**	**रोकड़ शेष में कमी**	**निरंक**	**9,59.76**

7 विवरण हेतु कृपया खंड–II का विवरण संख्या–21 देखें।

8 'उचंत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं में आंकड़े वृहद रूप में परिलक्षित होते हैं। कृपया विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 21 में देखें।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी
विवरण पत्रक संख्या 2 का अनुलग्नक

रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकार की सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क– सामान्य रोकड़ शेष –		
(i) खजानों में रोकड़		
(ii) रिजर्व बैंक में जमा[क] **मुख्य शीर्ष 8999**	(-) 36,42.21[ख][ग]	(-) 46,23.28
(iii) अन्य बैंकों में जमा	निरंक	निरंक
(iv) स्थानीय प्रेषण	निरंक	निरंक
योग	(-) 36,42.21	(-) 46,23.28
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश **मुख्य शीर्ष 8673**	2,07,88.72	1,12,70.17
योग – क – सामान्य रोकड़ शेष	1,71,46.51	66,46.89
ख– अन्य रोकड़ शेष और निवेश –		
(vi) विभागीय रोकड़ शेष	(-) 2.43	(-) 3.21
(vii) स्थाई अग्रिम	0.83	0.83
(viii) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	9,24.41	4,16.42
योग – ख – अन्य रोकड़ शेष और निवेश	9,22.81	4,14.04
योग – क + ख	**1,80,69.32**	**70,60.93**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत खजानों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, सम्मिलित है। रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाते हैं। रोकड़ की समग्र स्थिति पर पहुंचने के लिये खजानों, विभागों में रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों इत्यादि से निवेश को भारतीय 'रिजर्व बैंक में जमा' के शेषों में जोड़ा जाता है।

(क) 15 अप्रैल, 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित ''रिजर्व बैंक में जमा'' शीर्ष के अंतर्गत शेष अंतर–सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत है।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर को मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) अनंतिम रूप से आवंटित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्त्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) मार्च 2021 की समाप्ति की स्थिति में ''भारतीय रिजर्व बैंक जमा'' में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 35,84.24 करोड़ (नामे) तथा महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹ 36,42.21 (जमा) करोड़ के मध्य निवल अंतर ₹ 57.97 करोड़ (नामे) के अंतर्गत है। रिजर्व बैंक जमा में यह अंतर एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेनदेनों को गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

अनुलग्नक – जारी

(ख) **<u>दैनिक रोकड़ शेष</u>** : रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 1.96 करोड़ न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि अनुबंध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय–समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम, अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़ शेष(क) प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन–देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन–देन तथा खजाना लेन–देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उससे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण के लिये आवेदन करती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण पर ब्याज की प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं :–

<u>स.क्र.</u>	**<u>नामकरण</u>**	**<u>दर</u>**
1.	अर्थोपाय अग्रिम (साधारण)	
	(क) 90 दिन तक	रेपो दर
	(ख) 90 दिन से अधिक	रेपो दर + 1
2.	अर्थोपाय अग्रिम (विशेष)	रेपो दर – 1
3.	कमी	रेपो दर
4.	अधिविकर्षण	
	(क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 *प्रतिशत* तक	रेपो दर + 2
	(ख) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 *प्रतिशत* से अधिक	रेपो दर + 5

वर्ष 2020–21 के दौरान रेपो दर 4.40 से 4.00 *प्रतिशत* तक परिवर्तनशील रही।

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2020–21 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :–

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष बिना किसी अग्रिम लिए बनाये रखा गया	365
(ii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिमों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिया गया	निरंक

(क) उपरोक्त नकदी शेष ('भारतीय रिजर्व बैंक में जमा') वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में संवरित नकदी शेष है परन्तु 15 अप्रैल को निकाला गया है तथा 31 मार्च का साधारण दैनिक शेष नहीं है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – समाप्त

अनुलग्नक – समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन–देनों का विस्तृत लेखा नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	2020–21 के दौरान प्राप्त की गई राशि	2020–21 के दौरान चुकाई गई राशि	31 मार्च 2021 को शेष	2020–21 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज
साधारण अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	**निरंक**
विशेष अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अधिविकर्षण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

31 मार्च 2021 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न है :–

(₹ करोड़ में)

	प्रतिभूति का प्रकार	राशि
(1)	भारत सरकार के खजाना बिल	2,07,88.72
(2)	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	निरंक
	योग	**2,07,88.72**

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 1,44.73 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ, जबकि 2019–20 के दौरान ₹ 1,45.29 करोड़ था।

टीप :– सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या–8 एवं 19 में दिए गए हैं। उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या–22 में दर्शाई गई हैं।

3 : प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2020-21	2019-20
I-	**कर एवं करेतर राजस्व**		
क	**कर राजस्व**		
क.1	**स्वयं का कर राजस्व**	**5,44,58.92**	**5,58,23.69**
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,72,57.50	2,04,47.78
	भू–राजस्व	5,03.70	5,62.37
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	68,16.54	55,68.59
	राज्य उत्पाद शुल्क	95,26.34	1,08,29.35
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,32,96.34	1,12,57.71
	माल तथा यात्री कर	75.03	1,45.02
	वाहन कर	27,49.15	32,51.23
	अन्य	42,34.32	37,61.64
क.2	**संघ करों एवं शुल्क के शुद्ध आगम का भाग**	**4,69,13.75**	**4,95,17.61**
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,39,46.58	1,40,51.51
	निगम कर	1,41,54.92	1,68,83.57
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,45,11.44	1,32,29.42
	धन कर	निरंक	0.73
	सीमा शुल्क	24,94.77	31,38.75
	संघ उत्पाद शुल्क	15,77.40	21,82.27
	सेवा कर	2,03.41	निरंक
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	25.23	31.36
	योग – क	**10,13,72.67**	**10,53,41.30**
ख	**करेतर राजस्व**		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	45,57.28	43,20.22
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	13,82.51	20,59.65
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	12,40.38	8,34.26
	लघु सिंचाई	2,31.30	2,34.98
	ब्याज प्राप्तियाँ	2,43.01	4,42.54
	विविध सामान्य सेवाएं	5,99.43	3,37.75
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,73.18	3,26.95
	लाभांश तथा लाभ	2,88.44	4,75.96
	मध्यम सिंचाई	1,40.30	1,13.47
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	96.57	1,29.62
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,83.42	1,76.34
	बिजली	11.35	54.56
	लोक निर्माण कार्य	1,07.97	1,17.91
	पुलिस	1,76.74	1,24.39
	अन्य सामाजिक सेवाएं	35.47	2,13.47
	ग्राम तथा लघु उद्योग	1,24.23	28.43

विवरण पत्रक संख्या 3 – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2020-21	**2019-20**
I-	**कर एवं करेतर राजस्व** – समाप्त		
ख	**करेतर राजस्व** – समाप्त		
	फसल कृषि–कर्म	32.44	46.92
	मुख्य सिंचाई	41.92	58.15
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	28.89	32.12
	आवास	27.08	27.27
	श्रम तथा रोजगार	25.30	35.40
	जलपूर्ति तथा सफाई	43.49	12.51
	शहरी विकास	21.50	30.36
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.91	11.05
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	8.63	19.83
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	29.09	32.78
	पर्यटन	निरंक	0.63
	अपारम्परिक उर्जा स्रोत	4.08	0.98
	मछली पालन	6.83	7.78
	सहकारिता	9.41	10.49
	लोक सेवा आयोग	13.84	13.07
	जेल	4.57	4.89
	पशुपालन	2.29	2.54
	अन्य कृषि कार्यक्रम	4.21	9.97
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	0.06	0.05
	सड़क तथा सेतु	0.62	0.60
	उद्योग	0.40	0.53
	सूचना तथा प्रचार	0.55	0.65
	परिवार कल्याण	0.20	0.23
	अन्य उद्योग	0.19	0.21
	डेरी विकास	0.05	0.06
	पेट्रोलियम	निरंक	निरंक
	योग – ख	**99,02.13**	**1,03,49.57**
II-	**भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान**		
ग	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान**		
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	**2,13,40.47**	**1,95,48.19**
	केन्द्रीय सहायता/अंश	1,90,39.66	1,74,64.21
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	18,02.72	10,25.16
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	36.89	4,49.39
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	4,61.20	6,09.43

विवरण पत्रक संख्या 3 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2020-21	2019-20
II-	**भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान** – समाप्त		
ग	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान** – समाप्त		
	वित्त आयोग अनुदान	**65,76.50**	**60,77.55**
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	29,88.00	54,30.45
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	17,68.50	निरंक
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	18,20.00	6,47.10
	राज्य/विधायिका सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान	**71,85.02**	**63,26.74**
	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में योगदान हेतु अनुदान	18,91.79	17,12.14
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	निरंक	83.82
	जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति	52,93.23	45,30.78
	योग – ग	**3,51,01.99**	**3,19,52.48**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग)	**14,63,76.79**	**14,76,43.35**
III-	**पूंजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ**		
घ	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**		
	सिविल		
	सहकारी समितियों/बैंकों का विनिवेश/पूंजी की निवृत्ति	निरंक	निरंक
	अन्य प्राप्तियाँ	14.46	13.66
	विनिवेश आय	**निरंक**	**निरंक**
	योग – घ	**14.46**	**13.66**
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		
	आंतरिक ऋण	**5,42,41.46**	**2,94,96.49**
	बाजार ऋण	4,55,73.00	2,23,71.39
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	23,95.18	19,77.99
	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	62,73.28	51,47.11
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	**1,09,29.04**	**48,67.92**
	योजनेतर ऋण	निरंक	निरंक
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिये ऋण[क]	निरंक	निरंक
	राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	1,09,29.04	48,67.92
	योग – ङ	**6,51,70.50**	**3,43,64.41**
च	**राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ)**[ख]	**58.32**	**45.86**
छ	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**(-) 0.02**	**0.25**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**21,16,20.05**	**18,20,67.03**

[क] मुख्य तथा लघु लेखाशीर्षों की सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 02–राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण, दि.01.04.17 से नये लेन–देन हेतु परिचालन में नहीं है।

[ख] विस्तृत विवरण, खण्ड–I में विवरण संख्या–7 एवं खण्ड–II में विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं।

4 : व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

क. कार्य आधारित व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
क	**सामान्य सेवाएं**				
क.1	*राज्य के अंग*	**15,63.31**	**निरंक**	**निरंक**	**15,63.31**
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	80.49	निरंक	निरंक	80.49
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	11.83	निरंक	निरंक	11.83
	मंत्रिपरिषद	1,39.89	निरंक	निरंक	1,39.89
	न्याय प्रशासन	10,89.30	निरंक	निरंक	10,89.30
	निर्वाचन	2,41.80	निरंक	निरंक	2,41.80
क.2	*राजकोषीय सेवाएं*	**2,28,15.28**	**निरंक**	**निरंक**	**2,28,15.28**
	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	भू–राजस्व	24,36.27	निरंक	निरंक	24,36.27
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	7,78.28	निरंक	निरंक	7,78.28
	राज्य उत्पाद शुल्क	13,07.46	निरंक	निरंक	13,07.46
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6.01	निरंक	निरंक	6.01
	वाहन कर	79.85	निरंक	निरंक	79.85
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रभारों का संग्रहण	2,00.60	निरंक	निरंक	2,00.60
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	20,86.96	निरंक	निरंक	20,86.96
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.98	निरंक	निरंक	1.98
	ब्याज अदायगियाँ	1,59,17.87	निरंक	निरंक	1,59,17.87
क.3	*प्रशासनिक सेवाएं*	**87,66.28**	**9,74.06**	**निरंक**	**97,40.34**
	लोक सेवा आयोग	17.82	निरंक	निरंक	17.82
	सचिवालय – सामान्य सेवाएं	1,88.07	निरंक	निरंक	1,88.07
	जिला प्रशासन	7,55.04	निरंक	निरंक	7,55.04
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	2,11.81	निरंक	निरंक	2,11.81
	पुलिस	63,05.08	5,94.93	निरंक	69,00.01
	जेल	3,96.23	निरंक	निरंक	3,96.23
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	39.54	2.47	निरंक	42.01
	लोक निर्माण–कार्य	3,59.61	3,66.67	निरंक	7,26.28
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4,93.08	9.99	निरंक	5,03.07
क.4	*पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं*	**1,47,40.14**	**निरंक**	**28.76**	**1,47,68.90**
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	1,46,70.70	निरंक	निरंक	1,46,70.70
	विविध सामान्य सेवाएं	69.44	निरंक	28.76	98.20
	योग–क–सामान्य सेवाएं	**4,78,85.01**	**9,74.06**	**28.76**	**4,88,87.83**

विवरण पत्रक संख्या 4 – जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	*शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति[क]*	**2,88,10.31**	**12,98.59**	**57.84**	**3,01,66.74**
	सामान्य शिक्षा	2,80,49.76	निरंक	निरंक	2,80,49.76
	तकनीकी शिक्षा	4,90.69	निरंक	निरंक	4,90.69
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1,37.26	12,98.59	57.84	14,93.69
	कला एवं संस्कृति	1,32.60	निरंक	निरंक	1,32.60
ख.2	*स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण*	**89,47.86**	**7,38.98**	**निरंक**	**96,86.84**
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	84,32.79	7,38.98	निरंक	91,71.77
	परिवार कल्याण	5,15.07	निरंक	निरंक	5,15.07
ख.3	*जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास*	**1,26,09.26**	**52,17.61**	**6,73.00**	**1,84,99.87**
	जलपूर्ति तथा सफाई	10,82.84	39,51.35	निरंक	50,34.19
	आवास	59,37.97	57.98	निरंक	59,95.95
	शहरी विकास	55,88.45	12,08.28	6,73.00	74,69.73
ख.4	*सूचना तथा प्रसारण*	**3,03.66**	**0.54**	**निरंक**	**3,04.20**
	सूचना तथा प्रचार	3,03.66	0.54	निरंक	3,04.20
ख.5	*अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण*	**39,17.96**	**8,22.23**	**निरंक**	**47,40.19**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	39,17.96	8,22.23	निरंक	47,40.19
ख.6	*श्रमिक तथा श्रम कल्याण*	**10,90.32**	**निरंक**	**निरंक**	**10,90.32**
	श्रम तथा रोजगार	10,90.32	निरंक	निरंक	10,90.32
ख.7	*समाज कल्याण तथा पोषण*	**1,30,04.59**	**35.78**	**निरंक**	**1,30,40.37**
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	69,43.91	35.78	निरंक	69,79.69
	पोषण	11,16.31	निरंक	निरंक	11,16.31
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	49,44.37	निरंक	निरंक	49,44.37
ख.8	*अन्य*	**72.80**	**18.34**	**निरंक**	**91.14**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	39.37	18.34	निरंक	57.71
	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	33.43	निरंक	निरंक	33.43
	योग–ख–सामाजिक सेवाएं	**6,87,56.76**	**81,32.07**	**7,30.84**	**7,76,19.67**

[क] पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए एकल मुख्य शीर्ष है, जो उप मुख्यशीर्ष के द्वारा पृथक किये जाते हैं।

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	*कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप*	**1,23,73.04**	**9,51.45**	**4.74**	**1,33,29.23**
	फसल कृषि–कर्म	61,96.92	4.82	निरंक	62,01.74
	मृदा तथा जल संरक्षण	65.59	निरंक	निरंक	65.59
	पशुपालन	8,56.80	7.65	निरंक	8,64.45
	मछली पालन	1,15.07	निरंक	निरंक	1,15.07
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	15,56.93	9,16.58	निरंक	24,73.51
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	28,45.81	0.20	0.03	28,46.04
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1,64.42	निरंक	निरंक	1,64.42
	सहकारिता	5,71.50	22.20	4.71	5,98.41
ग.2	*ग्रामीण विकास*	**96,77.94**	**37,82.09**	**निरंक**	**1,34,60.03**
	ग्रामीण रोजगार	35,59.65	निरंक	निरंक	35,59.65
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	61,18.29	37,82.09	निरंक	99,00.38
ग.3	*विशेष क्षेत्र कार्यक्रम*	**6,72.31**	**निरंक**	**निरंक**	**6,72.31**
	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6,72.31	निरंक	निरंक	6,72.31
ग.4	*सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण*	**9,98.82**	**1,00,15.50**	**निरंक**	**1,10,14.32**
	मुख्य सिंचाई	2,35.52	83,60.86	निरंक	85,96.38
	मध्यम सिंचाई	6,10.16	11,74.96	निरंक	17,85.12
	लघु सिंचाई	1,44.56	4,73.25	निरंक	6,17.81
	कमान क्षेत्र विकास	8.58	5.17	निरंक	13.75
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	निरंक	1.26	निरंक	1.26
ग.5	*ऊर्जा*	**1,49,73.96**	**4,94.58**	**2,15.98**	**1,56,84.52**
	बिजली	1,49,13.55	4,94.58	2,15.98	1,56,24.11
	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	60.41	निरंक	निरंक	60.41
ग.6	*उद्योग तथा खनिज*	**20,87.19**	**4,50.51**	**2,50.00**	**27,87.70**
	ग्राम तथा लघु उद्योग	4,65.19	1,22.31	निरंक	5,87.50
	उद्योग	3,07.13	निरंक	निरंक	3,07.13
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	13,14.87	निरंक	निरंक	13,14.87
	अन्य उद्योग	निरंक	3,28.20	निरंक	3,28.20
	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	पेट्रो केमिकल उद्योग	निरंक	निरंक	2,50.00	2,50.00
ग.7	*परिवहन*	**10,93.22**	**54,70.71**	**निरंक**	**65,63.93**
	नागर विमानन	4.03	66.17	निरंक	70.20
	सड़क तथा सेतु	10,89.19	54,01.89	निरंक	64,91.08
	सड़क परिवहन	निरंक	2.65	निरंक	2.65
	अन्य परिवहन सेवाएं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं**–समाप्त				
ग.8	*विज्ञान, प्रौद्यौगिकी तथा पर्यावरण*	**1,22.03**	**34.00**	**निरंक**	**1,56.03**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1,22.03	34.00	निरंक	1,56.03
ग.9	*सामान्य आर्थिक सेवाएं*	**1,92.44**	**50.80**	**निरंक**	**2,43.24**
	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	29.06	निरंक	निरंक	29.06
	पर्यटन	50.62	50.33	निरंक	1,00.95
	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	89.81	निरंक	निरंक	89.81
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	22.95	0.47	निरंक	23.42
	योग – ग – आर्थिक सेवाएं	**4,21,90.95**	**2,12,49.64**	**4,70.72**	**6,39,11.31**
घ	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	59,00.29	निरंक	निरंक	59,00.29
	योग–घ–सहायता अनुदान तथा अंशदान	**59,00.29**	**निरंक**	**निरंक**	**59,00.29**
ङ	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	निरंक	1,13,15.00	1,13,15.00
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	निरंक	निरंक	14,42.30	14,42.30
	योग–ङ– लोक ऋण	**निरंक**	**निरंक**	**1,27,57.30**	**1,27,57.30**
च	**ऋण तथा अग्रिम**				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग–च–ऋण तथा अग्रिम	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**
छ	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**निरंक**	**निरंक**	**(-) 0.25**	**(-) 0.25**
ज	**आकस्मिकता निधि को अंतरण**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**
	योग–समेकित निधि के अंतर्गत व्यय	**16,47,33.01**	**3,03,55.77**	**1,39,87.37**	**20,90,76.15**

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

ख : प्रकृति अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2020-21			2019-20		
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
11	वेतन	3,56,90.53	2,25.60	3,59,16.13	2,93,84.31	2,51.35	2,96,35.66
12	मजदूरी	12,40.71	6,02.35	18,43.06	11,36.62	3,87.41	15,24.03
13	पेशन तथा पेंशन हितलाभ	1,30,79.62	0.07	1,30,79.69	1,11,62.84	0.05	1,11,62.89
14	पुरस्कार, पारितोषिक, सम्मान	69.83	निरंक	69.83	61.86	निरंक	61.86
15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	14,13.44	निरंक	14,13.44	9,55.98	निरंक	9,55.98
16	वेतन भत्ते – अखिल भारतीय सेवाएं	1,36.34	1.55	1,37.89	1,38.63	1.53	1,40.16
17	मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते	26.95	निरंक	26.95	26.93	निरंक	26.93
18	राज्यपाल, उच्च न्यायालय, न्यायालय, लोकायुक्त, अभिकरण, राज्य चुनाव एवं सूचना आयोग के वेतन एवं भत्ते आदि	3,17.45	निरंक	3,17.45	2,89.20	निरंक	2,89.20
19	कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन	10,34.95	89.97	11,24.92	11,60.35	1,01.79	12,62.14
21	यात्रा भत्ता	1,05.75	1.27	1,07.02	1,61.65	2.17	1,63.82
22	कार्यालय व्यय	10,61.89	14.28	10,76.17	9,29.84	11.65	9,41.49
23	वाहनों का क्रय	23.61	61.11	84.72	21.98	4.44	26.42
24	परीक्षा तथा प्रशिक्षण	79.37	8.07	87.44	1,45.29	1.85	1,47.14
25	बिस्तरीय वस्त्र एवं शामियाना	2.31	निरंक	2.31	2.76	निरंक	2.76
26	संगोष्ठी, कार्यशाला एवं सम्मेलन	3.95	निरंक	3.95	9.35	0.25	9.60
27	सूक्ष्म सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	95.37	निरंक	95.37	38.98	निरंक	38.98
31	पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	28,72.99	28.01	29,01.00	26,38.80	10.88	26,49.68
32	लघु निर्माण कार्य	52.13	4,01.56	4,53.69	88.46	12,79.82	13,68.28
33	अनुरक्षण	11,48.21(क)	71.71	12,19.92	12,84.66	84.46	13,69.12
34	सामग्री एवं आपूर्ति	30,67.73	2,81.36	33,49.09	40,66.98	1,32.39	41,99.37
35	विज्ञापन तथा प्रचार	2,81.92	3.29	2,85.21	2,79.54	0.11	2,79.65
36	विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर व्यय	4.28	निरंक	4.28	0.55	निरंक	0.55
37	मेला, उत्सव एवं प्रदर्शनी	15.40	निरंक	15.40	19.45	निरंक	19.45
41	वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति	23,17.25	निरंक	23,17.25	23,93.68	निरंक	23,93.68
42	सहायता अनुदान	6,32,84.37(ख)	2,50.27	6,35,34.64	6,41,87.11	2,57.04	6,44,44.15

(क) यह परिशिष्ट–X के नीचे दर्शाए गए राजस्व अनुभाग के योग से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां लेखाओं में केवल निर्माण विभाग से संबंधित आंकड़े लिए गए हैं।

(ख) विवरण पत्रक संख्या 4 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र–घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से भिन्न है।
विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र–घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4 के आंकड़ों से भिन्न है।

विवरण पत्रक संख्या 4 – समाप्त

ख : प्रकृति अनुसार व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2020-21			2019-20		
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
43	अंशदान	16,35.03	6.10	16,41.13	9,32.49	2.97	9,35.46
44	राजसहायता	1,36,45.04	24.00	1,36,69.04	1,26,41.50	निरंक	1,26,41.50
45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिये सहायता अनुदान	6,53.59[क]	82.73	7,36.32	5,76.53	2,37.64	8,14.17
50	प्रतिकर का भुगतान	0.70	निरंक	0.70	30.61	निरंक	30.61
51	अन्य प्रभार	13,86.44	73.35	14,59.79	7,01.33	4,33.93	11,35.26
52	ब्याज/लाभांश का भुगतान	1,59,34.35	निरंक	1,59,34.35	1,42,50.48	निरंक	1,42,50.48
53	डिक्री धन का भुगतान	2.18	0.97	3.15	13.48	0.63	14.11
54	क्षतिपूर्ति	36.93	20.84	57.77	24.48	33.77	58.25
55	उचंत	0.28	निरंक	0.28	0.05	निरंक	0.05
56	गुप्तचर सेवा व्यय	8.94	निरंक	8.94	8.24	निरंक	8.24
58	कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	0.25	निरंक	0.25	0.04	निरंक	0.04
59	मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	50.32	निरंक	50.32	14.15	निरंक	14.15
61	सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार एवं रूपांकित करना	2.45	5.24	7.69	1.87	11.13	13.00
62	भूमि तथा भवन का क्रय	निरंक	1,32.69	1,32.69	1.10	21.22	22.32
63	मशीनरी	78.91	2,82.30	3,61.21	35.57	3,64.98	4,00.55
64	मुख्य निर्माण कार्य	0.61	2,40,95.05	2,40,95.66	1.15	2,36,03.43	2,36,04.58
65	निवेश	निरंक	27,32.81	27,32.81	निरंक	10,88.39	10,88.39
67	ऋण एवं अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
68	वार्षिक वृत्ति (एन्यूटी)	निरंक	8,60.00	8,60.00	निरंक	9,16.20	9,16.20
73	अंतर लेखा हस्तांतरण	77,77.34	निरंक	77,77.34	38,13.28	निरंक	38,13.28
74	वसूलियाँ	(-) 39,06.70	(-) 0.78	(-) 39,07.48	(-) 31,87.85	निरंक	(-) 31,87.85
	अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	**16,47,33.01**	**3,03,55.77**	**19,50,88.78**	**15,04,44.30**	**2,92,41.48**	**17,96,85.78**

[क] विवरण पत्रक संख्या 4 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र–घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से भिन्न है।
विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र–घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4 के आंकड़ों से भिन्न है।

5 – प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20 के दौरान व्यय	2019–20 तक का प्रगामी व्यय	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
क	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –**					
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	5,53.85	23,17.42	5,94.93	29,12.35	7
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	12.21	2.47	14.68	3429
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4,06.46	31,90.98	3,66.67	35,57.65	(-) 10
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.65	1,42.25	9.99	1,52.24	(-) 54
	योग – क – सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**9,82.03**	**56,62.86**	**9,74.06**	**66,36.92**	**(-) 1**
ख	***सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –***					
(क)	***शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा –***					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	14,90.25	68,84.67	12,98.59	81,83.26	(-) 13
	योग – (क) – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	**14,90.25**	**68,84.67**	**12,98.59**	**81,83.26**	**(-) 13**
(ख)	***स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा –***					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	10,96.31	57,47.49	7,38.98	64,86.47	(-) 33
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	53.58	निरंक	53.58	--
	योग – (ख) – स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	**10,96.31**	**58,01.07**	**7,38.98**	**65,40.05**	**(-) 33**
(ग)	***जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –***					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	23,99.85	1,43,83.93	39,51.35	1,83,35.28	65
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	57.83	8,61.07	57.98	919.05	--
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	7,82.18	39,87.82	12,08.28	51,96.10	54
	योग – (ग) – जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	**32,39.86**	**1,92,32.82**	**52,17.61**	**2,44,50.43**	**61**
(घ)	***सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा –***					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	3.44	0.54	3.98	--
	योग – (घ) – सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	**निरंक**	**3.44**	**0.54**	**3.98**	**--**
(ङ)	***अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा –***					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9,82.48	74,91.56	8,22.23	83,13.79	(-) 16
	योग – (ङ) – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	**9,82.48**	**74,91.56**	**8,22.23**	**83,13.79**	**(-) 16**
(छ)	***समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा –***					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	70.22	15,12.37	35.78	15,48.15	(-) 49
	योग – (छ) – समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	**70.22**	**15,12.37**	**35.78**	**15,48.15**	**(-) 49**
(ज)	***अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा –***					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	42.86	4,45.42	18.34	4,63.76	(-) 57
	योग – (ज) – अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	42.86	4,45.42	18.34	4,63.76	(-) 57
	योग – ख – सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**69,21.98**	**4,13,71.35**	**81,32.07**	**4,95,03.42**	**17**

विवरण संख्या 5 – जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20 के दौरान व्यय	2019–20 तक का प्रगामी व्यय	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
ग	*आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे –*					
(क)	*कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा –*					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	5,80.37	4.82	5,85.19	--
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,91.09	निरंक	1,91.09	--
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.07	1,29.82	7.65	1,37.47	88
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	5.49	निरंक	5.49	--
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	11.96	निरंक	11.96	--
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	5,37.55	27,83.58	9,16.58	37,00.16	71
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	2,39.46	0.20	2,39.66	(-) 29
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1.90	निरंक	1.90	--
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	4.73	14,97.63	22.20	15,19.83	370
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	8.01	निरंक	8.01	--
	योग – (क) – कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	**5,46.63**	**54,49.31**	**9,51.45**	**64,00.76**	**74**
(ख)	*ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –*					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	44,52.28	2,43,43.51	37,82.09	2,81,25.60	(-) 15
	योग – (ख) – ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	**44,52.28**	**2,43,43.51**	**37,82.09**	**2,81,25.60**	**(-) 15**
(घ)	*सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा –*					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	75,09.23	5,29,32.65	83,60.86	6,12,93.51	11
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9,45.05	1,09,77.84	11,74.96	1,21,52.80	24
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,80.70	1,36,17.48	4,73.25	1,40,90.73	(-) 2
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	55.97	14,50.86	5.17	14,56.03	(-) 91
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.99	1,38.77	1.26	1,40.03	(-) 75
	योग – (घ) – सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	**89,95.94**	**7,91,17.60**	**1,00,15.50**	**8,91,33.10**	**11**
(ङ)	*ऊर्जा का पूंजीगत लेखा –*					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,62.29	3,21,09.67	4,94.58	3,26,04.25	(-) 12
4810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	निरंक	0.20	निरंक	0.20	--
	योग – (ङ) – ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	**5,62.29**	**3,21,09.87**	**4,94.58**	**3,26,04.45**	**(-) 12**
(च)	*उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –*					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,55.15	30,18.74	1,22.31	31,41.05	(-) 52
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	49.10	निरंक	49.10	--
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.06	21.49	निरंक	21.49	(-) 100
4854	सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.02	निरंक	0.02	--
4858	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.13	निरंक	0.13	--
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	8.78	निरंक	8.78	--
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3,09.14	8,27.66	3,28.20	11,55.86	6
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	निरंक	4,68.58	निरंक	4,68.58	--
	योग – (च) – उद्योगों तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	**5,65.35**	**43,94.50**	**4,50.51**	**48,45.01**	**(-) 20**

विवरण संख्या 5 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20 के दौरान व्यय	2019–20 तक का प्रगामी व्यय	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
ग	**आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे –**					
(छ)	***परिवहन का पूंजीगत लेखा –***					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	9.71	3,92.87	66.17	4,59.04	581
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	61,45.82	4,82,22.34	54,01.89	5,36,24.23	(-) 12
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,16.81	2.65	1,19.46	--
	योग – (छ) – परिवहन का पूंजीगत लेखा	**61,55.53**	**4,87,32.02**	**54,70.71**	**5,42,02.73**	**(-) 11**
(झ)	***विज्ञान, प्रौद्यौगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा –***					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,16.69	34.00	1,50.69	--
	योग – (झ) – विज्ञान, प्रौद्यौगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	निरंक	**1,16.69**	**34.00**	**1,50.69**	**--**
(ञ)	***सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा***					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	59.45	10,88.29	50.33	11,38.62	(-) 15
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	निरंक	0.03	निरंक	0.03	--
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	13.00	0.47	13.47	--
	योग – (ञ) – सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**59.45**	**11,01.32**	**50.80**	**11,52.12**	**(-) 15**
	योग – ग – आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे	**2,13,37.47**	**19,53,64.82**	**2,12,49.64**	**21,66,14.46**	**--**
	महायोग	**2,92,41.48**	**24,23,99.03**	**3,03,55.77**	**27,27,54.80**	**4**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार ने ₹ 27,18.34[(क)] करोड़ विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशित किए (सांविधिक निगमों की अंशपूंजी में ₹ 8,54.00 करोड़, सरकारी कम्पनियों में ₹ 18,31.61 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 32.73 करोड़ का निवेश)।

2. वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के अंत में सरकार का, विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 3,63,73.52 करोड़ तथा ₹ 3,90,91.86 करोड़ था। ₹ 3,90,91.86 करोड़ के निवेश के विरूद्ध वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार ने ₹ 2,88.44 करोड़ (निवेश का 0.74 *प्रतिशत*) लाभांश प्राप्त किया।

   ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

(क) निवल निवेश की राशि ₹ 27,18.34 करोड़ (सकल निवेश ₹ 27,32.80 एवं विनिवेश ₹ 14.46 करोड़)

6 – उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों[क] का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च, 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (–) राशि	*प्रतिशत*	लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का *प्रतिशत*
(क) लोक ऋण –							
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण–							
बाजार ऋण	11,53,67.71	4,55,73.00	68,00.00	15,41,40.71	3,87,73.00	33.61	53.28
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	73,60.44	निरंक	निरंक	73,60.44	निरंक	निरंक	2.54
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,02,13.22	23,95.18	18,23.24[ख]	1,07,85.16	5,71.94	5.60	3.73
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,68,51.37	62,73.28	26,91.76	3,04,32.89	35,81.52	13.34	10.52
योग – राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	15,97,92.74	5,42,41.46	1,13,15.00	20,27,19.20	4,29,26.46	26.86	70.07
6004 – केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम							
01 योजनेत्तर ऋण	24.73	निरंक	3.52	21.21	(-) 3.52	(-) 14.23	0.01
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए ऋण	1,61,41.44	निरंक	14,38.78	1,47,02.66	(-) 14,38.78	(-) 8.91	5.08
07 1984–85 से पूर्व के ऋण	1.88	निरंक	निरंक	1.88	निरंक	निरंक	निरंक
09–राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	48,67.92	1,09,29.04	निरंक	1,57,96.96	1,09,29.04	2,24.51	5.46
योग – केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	2,10,35.97	1,09,29.04	14,42.30	3,05,22.71	94,86.74	45.10	10.55
योग – लोक ऋण	18,08,28.71	6,51,70.50	1,27,57.30	23,32,41.91	5,24,13.20	28.98	80.62

(क) विस्तृत लेखा विवरण संख्या 17 और 21 में है।

(ख) ₹ 3.14 करोड़ बाजार ऋण में दर्ज किये गये जो वित्तीय संस्थाओं (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) से ऋण से संबंधित है।

विवरण संख्या 6 – जारी

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च, 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	*प्रतिशत*	लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का *प्रतिशत*
(ख) अन्य दायित्व –							
लोक लेखा –							
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,90,33.74	50,54.14	41,93.79	1,98,94.09	8,60.35	4.52	6.88
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	51,99.92	43,17.87	38,33.39	56,84.40	4,84.48	9.32	1.96
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	66,99.66	39,66.96	5,22.13	1,01,44.49	34,44.83	51.42	3.51
ब्याज वाली जमा	(-) 44.44	8.88	31.22	(-) 66.78[क]	(-) 22.34	(-) 50.27	(-) 0.02
बिना ब्याज वाली जमा	1,88,53.92	5,86,78.03	5,71,31.75	2,04,00.20	15,46.28	8.20	7.05
योग – अन्य दायित्व	4,97,42.80	7,20,25.88	6,57,12.28	5,60,56.40	63,13.60	12.69	19.38
योग – लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	23,05,71.51	13,71,96.38	7,84,69.58	28,92,98.31	5,87,26.80	25.47	100

विभिन्न बाजार ऋणों में अंशदान के बतौर प्राप्त राशि एवं निक्षेप शीर्ष में रही राशि वर्ष के अंत में (मुख्य शीर्ष 8449–अन्य जमा) निरंक लाख थी।

राज्य विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता हो, जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उधार ले सके।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण :– इसमें खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण, स्रोत अन्तरों को पूरा करने के लिये अस्थाई रूप की उधारियां तथा सरकार द्वारा स्वशासी निकायों से प्राप्त किए गए ऋण सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नलिखित ऋण जारी किए :– ₹ 5,00.00 करोड़ (5.73 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2021), ₹ 5,00.00 करोड़ (6.09 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2022), ₹ 5,00.00 करोड़ (5.54 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2021), ₹ 5,00.00 करोड़ (6.20 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2023), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.69 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030, ₹ 10,00.00 करोड़ (6.73 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 5,00.00 करोड़ (6.64 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 5,00.00 करोड़ (6.57 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.58 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.52 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.54 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.61 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.79 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2033), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.76 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2033), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.07 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2032), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.91 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2040), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.89 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2040), ₹ 60,00.00 करोड़ (6.76 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2040), ₹ 20,00.00 करोड़ (6.79 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2040), ₹ 70,00.00 करोड़ (6.61 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2037), ₹ 60,00.00 करोड़ (7.03 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2031), ₹ 1,00.00 करोड़ (4.94 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2023), ₹ 30,00.00 करोड़ (5.52 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 30,00.00 करोड़ (6.69 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2025) एवं ₹ 44,73.00 करोड़ (4.77 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण 2023) सममूल्य पर। ऋण पर वार्षिक ब्याज 5.73, 6.09, 5.54, 6.20, 6.69, 6.73, 6.64, 6.57, 6.58, 6.52, 6.54, 6.61, 6.79, 6.76, 7.07, 6.91, 6.89, 6.76, 6.79, 6.61, 7.03, 4.94, 5.52, 6.69 और 4.77 *प्रतिशत* है और वास्तविक मूल्यों पर क्रमशः 2021, 2022, 2021, 2023, 2030, 2030, 2030, 2030, 2035, 2035, 2035, 2035, 2033, 2033, 2032, 2040, 2040, 2040, 2040, 2037, 2031, 2023, 2024, 2025 और 2023 में प्रतिदेय है। कुल अभिदत्त राशि ₹ 4,55,73.00 करोड़ (रोकड़ : ₹ 4,55,73.00 करोड़, पुनर्भुगतान हेतु देय ऋण में परिवर्तन के कारण : ₹ निरंक) थी।

[क] मुख्यशीर्ष 8342–120–विविध जमा के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा निदेशालय, मध्य प्रदेश भोपाल से ब्याज के समायोजन हेतु स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण परिलक्षित हो रहा है।

विवरण संख्या 6 – जारी
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी – जारी

वर्ष 2020–21 के दौरान 8.44 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2020, 8.39 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2021, 7.13 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2021, और 8.36 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2021 एवं 8.48 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2021 उन्मोचित हुये। वर्ष के अंत में इन ऋणों के विरुद्ध निरंक शेष छोड़ते हुये वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 20,00.00 करोड़, ₹ 10,00.00 करोड़, ₹ 6,00.00 करोड़, ₹ 25,00.00 करोड़ और ₹ 7,00.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।

अल्प कालीन उधारियाँ :– इस श्रेणी के ऋण में बारह मासों के अन्दर प्रतिदेय पूर्णतः अस्थाई प्रकार की उधारियां, जैसे – भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष के आरंभ में अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ निरंक शेष थे। वर्ष के अंत में ₹ निरंक शेष छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान कोई भी राशि प्राप्त तथा पुनर्भुगतान नहीं की गई। वर्ष के दौरान ब्याज का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। विस्तृत ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिए गए हैं।

स्वायत्त निकायों से ऋण :– उधारियों की इस श्रेणी में सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे कि – भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, आवास और नगरीय विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास मण्डल तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र से प्राप्त किये गए ऋण सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान सरकार ने ऐसे निकायों से ₹ 23,95.18 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त किए और ₹ 18,23.24 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। 31 मार्च 2021 के अंत में इस प्रकार के ऋणों का बकाया शेष ₹ 1,81,45.60 करोड़ था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर सरकार ने ₹ 11,52.87 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किए।

स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों के पूर्ण ब्यौरे विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

परिशोधन हेतु व्यवस्था :– राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन हेतु व्यवस्था, जहां ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हों, केवल राजस्व से करनी चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी ऋण के लिए परिशोधन हेतु व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा है।

लघु बचत निधियों से ऋण :– 'लघु बचत योजना' तथा 'लोक भविष्य निधि' का डाकखानों में संग्रहण से ऋण, को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य 3 : 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 'लघु बचत संग्रहण' से ऋण जारी करने के प्रयोजन से 1999–20 में एक पृथक निधि अर्थात 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' निर्मित की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 62,73.28 करोड़ के ऋण प्राप्त किये गये तथा वर्ष के दौरान ₹ 26,91.76 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 3,04,32.89 करोड़ शेष बकाया था, जो कि 31 मार्च 2021 को राज्य सरकार के कुल **लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों** का 10.52 *प्रतिशत* था।

भारत सरकार से ऋण :– 31 मार्च 2021 को भारत सरकार से प्राप्त ऋण कुल **लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों** का 10.60 *प्रतिशत* था।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से लिये गए ऋणों के ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिये गए हैं।

वर्ष के दौरान भारत सरकार से ऋण के रूप में ₹ 1,09,29.04 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान कर्ज के पुनर्भुगतान के रूप में ₹ 14,42.30 करोड़ का भुगतान तथा ब्याज के रूप में ₹ 7,30.98 करोड़ का भुगतान किया।

पुनर्वास ऋण :– विस्थापित तथा वापस लौटे इत्यादि व्यक्तियों के 'पुनर्वास' के लिए ऋणों के प्रकरण में, 1974 से पूर्व के ऋण तथा 1974–75 से 1983–84 के वर्षों के दौरान प्राप्त पुनः ऋण माफ किये गए तथा 31 मार्च 1989 को शेष को भारत सरकार के आदेशों के अधीन ₹ 0.67 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना है।

विवरण संख्या 6 – समाप्त
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – समाप्त
व्याख्यात्मक टिप्पणी – समाप्त

ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :– बकाया सकल ऋण, अन्य दायित्वों तथा 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान राजस्व से पूरे किए गए ब्याज प्रभारों की निवल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं :–

(₹ करोड़ में)

		2020-21	2019-20	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–)
(i)	**वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व** –			
	(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि	25,31,36.00	19,98,62.45	5,32,73.55
	(ख) अन्य दायित्व	3,61,62.31	3,07,09.06	54,53.25
	योग – (i)	28,92,98.31	23,05,71.51	5,87,26.80
(ii)	**सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज** –			
	(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	1,52,63.54	1,42,14.38	10,49.16
	(ख) अन्य दायित्वों पर	6,54.33	2.14	6,52.19
	योग – (ii)	1,59,17.87	1,42,16.52	17,01.35
(iii)	**घटाएं** –			
	(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	87.98	1,30.43	(-) 42.45
	(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,44.73	1,45.29	(-) 0.56
	योग – (iii)	2,32.71	2,75.72	(-) 43.01
(iv)	**निवल ब्याज प्रभार (ii) – (iii)**	1,56,85.16	1,39,40.80	17,44.36
(v)	**कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता**	10.87	9.63	1.24
(vi)	**कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता**	10.72	9.44	1.28

इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्राप्तियाँ तथा कुल समायोजन थे जिनका कुल योग ₹ 10.30 करोड़ था, जैसे – वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, बकाया राजस्व पर ब्याज एवं 'विविध' लेखा पर ब्याज। अगर यह भी घटाया जाता है तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 1,56,74.86 होगा जो कि राजस्व प्राप्ति का 10.71 *प्रतिशत* है।

राज्य सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में निवेश के विरुद्ध लाभांश के रूप में वर्ष के दौरान ₹ 2,88.44 करोड़ प्राप्त किए।

ऋण में कमी या परिहार के लिये विनियोग : 1976–77 से जारी ऋणों के लिये अधिसूचित शर्तों में सरकार की ओर से इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया इसलिए 2020–21 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया।

7 – सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक

अनुभाग – 1 *ऋणों और अग्रिमों का सार : ऋणी समूहवार*

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम[क]	31 मार्च 2021 को शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि / कमी (6–2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि[ख]
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान	2,65.06	57.84	0.32	--	3,22.58	57.52	--
नगरपालिका / नगर परिषद / नगर निगम	7,14.91	2,86.10	41.69	--	9,59.32	2,44.41	--
शहरी विकास प्राधिकरण	16,42.68	निरंक	निरंक	--	16,42.68	निरंक	--
गृह निर्माण मण्डल	1,75.49	निरंक	निरंक	--	1,75.49	निरंक	--
राज्य आवास निगम	0.51	निरंक	निरंक	--	0.51	निरंक	--
पंचायती राज संस्थान	0.77	निरंक	निरंक	--	0.77	निरंक	--
सांविधिक निगम	62,90.98	2,78.76	निरंक	--	65,69.74	2,78.76	--
सरकारी कंपनियां	2,50,21.85[ग]	5,34.89	निरंक	--	2,55,56.74	5,34.89	--
सहकारी समितियां / सहकारी निगम / बैंक	15,93.79	4.73	14.75	--	15,83.77	(-) 10.02	--
अन्य	68,59.96	68.00	1.54	--	69,26.42	66.46	--
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	19.11	निरंक	0.02	--	19.09	(-) 0.02	--
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	निरंक	--	0.04	निरंक	--
योग – ऋण और अग्रिम	4,25,85.15	12,30.32	58.32	--	4,37,57.15	11,72.00	--

(क) राज्य सरकार ने ऋण को बट्टे खाते डालने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है।

(ग) प्रोफार्मा सुधार के कारण ₹ 5,00.00 करोड़ से प्रारंभिक शेष को घटाया गया। यह राशि वित्त वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

विवरण संख्या 7 – समाप्त

'निरन्तर ऋण' के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण निम्नानुसार हैं :–

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	ऋणी इकाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज की दर
1	2	3	4	5	6
--	--	--	--	--	--

अनुभाग – 2 ***ऋणों और अग्रिमों का सार : क्षेत्रवार***

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम(क)	31 मार्च 2021 को शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि / कमी (6–2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि(क)
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवायें	13,03.00	28.76	1.50	--	13,30.26	27.26	--
सामाजिक सेवायें	28,81.98	7,30.84	42.01	--	35,70.81	6,88.83	--
आर्थिक सेवायें	3,83,81.02(ख)	4,70.72	14.79	--	3,88,36.95	4,55.93	--
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	19.11	निरंक	0.02	--	19.09	(-) 0.02	--
विविध प्रयोजनों के लिये ऋण	0.04	निरंक	निरंक	--	0.04	निरंक	--
योग – ऋण और अग्रिम	4,25,85.15	12,30.32	58.32	--	4,37,57.15	11,72.00	--

टीप :– विस्तृत विवरण के लिए विवरण पत्रक संख्या 18 के अनुभाग एक – राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का संदर्भ लें।

अनुभाग – 3 ***ऋणी इकाईयों से बकाया पुनर्भुगतान का सार :***

(₹ करोड़ में)

ऋणी इकाईयां	दिनांक 31 मार्च 2021 को बकाया राशि			सबसे पूर्व का वर्ष जिससे बकाया राशि सम्बन्धित है	इकाई के विरूद्ध दिनांक 31 मार्च 2021 को ऋण की बकाया राशि
	मूलधन	ब्याज	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
म.प्र.ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड(ग)	14,38.88	24,34.34	38,73.22	2005-06	38,73.22

(क) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

(ख) प्रोफार्मा सुधार के कारण ₹ 5,00.00 करोड़ से प्रारंभिक शेष को घटाया गया। यह राशि वित्त वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त आंकड़े शामिल किये गये।

8 – सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक

सरकार का विभिन्न संस्थानों की अंश पूंजी तथा ऋण–पत्रों में 2019–20 तथा 2020–21 में निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

	संस्थान का नाम	2020-21			2019-20		
		संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम(क)	35	1,08,92.35	2,72.77	35	1,00,38.35	4,65.72
2	सरकारी कंपनियां	44	2,65,44.84	15.65	41	2,47,13.23	10.22
3	संयुक्त पूंजी कंपनियाँ और साझेदारियाँ	24	1.31	0.02	24	1.31	0.02
4	बैंक	01	निरंक(ख)	निरंक	01	निरंक	निरंक
5	सहकारिताएँ(ग)	129	16,53.36	निरंक	130	16,20.63	निरंक
	योग	233	**3,90,91.86**	**2,88.44**	231	**3,63,73.52**	**4,75.96**

(क) वर्ष 2020–21 के दौरान तीन नई सरकारी कंपनी नामतः एम.एस.एम.ई. उद्यम पूंजी निधि में निवेश, उद्यम पूंजी कंपनी तथा एन.बी.कंपनी लिमिटेड जोड़े गये हैं।

(ख) ऊपर दिये सरल क्रमांक 4 'बैंक' के समक्ष निवेश के आंकड़े जो कि ₹ 0.12 लाख है को दर्शाया नहीं गया है क्योंकि इस विवरण पत्रक में आंकड़े 'करोड़' रुपये में दर्शाये गये हैं एवं ₹ 0.12 लाख को करोड़ में दर्शाया जाना सम्भव नहीं है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अंशपूंजी निवेश को 2020–21 के दौरान सहकारिता में जोड़ा गया।

9 – सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण आदि के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां एवं दिनांक 31 मार्च 2021 को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बकाया प्रत्याभूतियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

प्रत्याभूतियों का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष 2020–21 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	01.04.2020 की स्थिति में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		31.03.2021 की स्थिति में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित नहीं की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रेणी–1										
विद्युत (25)	95,96.17	28,17.84	43,79.64	39,24.74	निरंक	निरंक	32,72.74	52.46	26.59	निरंक
सहकारिता (3)	14,53.00	निरंक	12,53.00	12,53.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
राज्य वित्तीय निगम (16)	11,50.00	6,14.51	निरंक	1,62.28	निरंक	निरंक	4,52.23	1.50	निरंक	निरंक
शहरी विकास एवं आवास (378)	74,76.81	38,39.00	निरंक	6,66.29	निरंक	निरंक	31,72.71	10.45	निरंक	निरंक
अन्य (126)	3,47,88.03	2,36,58.21	2,57,53.96	1,92,99.49	निरंक	निरंक	3,01,12.68	0.13	निरंक	निरंक
योग (548)	**5,44,64.01**	**3,09,29.56**	**3,13,86.60**	**2,53,05.80**	**निरंक**	**निरंक**	**3,70,10.36**	**64.54**	**26.59**	**निरंक**

10 – सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक

1. वर्ष 2020–21 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त निधियों एवं परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधियों का विवरण :–

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			स्तम्भ क्र.2 के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधि		
(1)	(2)			(3)		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग
पंचायती राज संस्थान	29,28.91	1,61,74.18	1,91,03.09	निरंक	निरंक	निरंक
शहरी स्थानीय निकाय	53,32.13	15,41.80	68,73.93	5,81.30	निरंक	5,81.30
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	31.29	20.55	51.84	निरंक	निरंक	निरंक
स्वायत्त निकाय	1,98.05	30,25.94	32,23.99	निरंक	निरंक	निरंक
अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.)	7,66.29	1,14.24	8,80.53	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	2,50,06.76	91,30.81	3,41,37.57	68.99	86.03	1,55.02
योग	**3,42,63.43**	**3,00,07.52**	**6,42,70.95**	**6,50.29**	**86.03**	**7,36.32**

2. वस्तुरूप में सहायता अनुदान एवं पूंजीगत प्रकृति की परिसंपत्तियों के वस्तु के रूप में सहायता अनुदान के कुल मूल्य का विवरण :–

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	वस्तुरूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजीगत प्रकृति की परिसंपत्तियां के रूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य
(1)	(2)	(3)
राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है		

11 – दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2020-21			2019-20		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*1,75,18.96*	14,72,14.05(क)	16,47,33.01	*1,56,87.62*	13,47,56.68	15,04,44.30
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*18.05*	3,03,37.72	3,03,55.77	*0.63*	2,92,40.85	2,92,41.48
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अंतर्राज्यीय परिशोधन तथा आकस्मिकता निधि को अंतरण के अन्तर्गत संवितरण(ख)	*1,27,57.30*	12,30.07	1,39,87.37	*1,09,33.62*	9,86.53	1,19,20.15
योग	***3,02,94.31***	**17,87,81.84**	**20,90,76.15**	***2,66,21.87***	**16,49,84.06**	**19,16,05.93**
क – ये आंकड़े इस प्रकार निकाले गये हैं :–						
ङ लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	*1,13,15.00(ख)*	निरंक	1,13,15.00	*97,13.06*	निरंक	97,13.06
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	*14,42.30(ख)*	निरंक	14,42.30	*12,20.56*	निरंक	12,20.56
च ऋण तथा उधार(ग) –						
सामान्य सेवाओं के लिये ऋण	*निरंक*	28.76	28.76	*निरंक*	निरंक	निरंक
सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	*निरंक*	7,30.84	7,30.84	*निरंक*	3,58.11	3,58.11
आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	*निरंक*	4,70.72	4,70.72	*निरंक*	6,29.04	6,29.04
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	*निरंक*	निरंक	निरंक	*निरंक*	निरंक	निरंक
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	*निरंक*	निरंक	निरंक	*निरंक*	निरंक	निरंक
छ अंतर्राज्यीय परिशोधन –						
अंतर्राज्यीय परिशोधन	*निरंक*	(-) 0.25	(-) 0.25	*निरंक*	(-) 0.62	(-) 0.62
ज आकस्मिकता निधि को अंतरण –						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	*निरंक*	निरंक	निरंक	*निरंक*	निरंक	निरंक
योग	***1,27,57.30***	**12,30.07**	**1,39,87.37**	***1,09,33.62***	**9,86.53**	**1,19,20.15**

वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का कुल व्यय से *प्रतिशत* निम्नानुसार था :–

वर्ष	कुल व्यय का *प्रतिशत*	
	प्रभारित	दत्तमत
2019-20	*13.89*	86.11
2020-21	*14.49*	85.51

(क) 'डिक्री धन का भुगतान' से संबंधित ₹ 0.05 करोड़ शामिल है, जो प्रभारित व्यय के अंतर्गत आता है।

(ख) यद्यपि मुख्यशीर्ष 6003 तथा 6004 के अंतर्गत व्यय, प्रभारित व्यय है। इसको छोड़कर, अन्य संबंधित विवरण पत्रकों में तदनुसार यह नहीं दर्शाया गया है।

(ग) विस्तृत ब्यौरेवार लेखे विवरण सं. 18 में दिये गए हैं।

12 – राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020–21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
पूंजीगत तथा अन्य व्यय **पूंजीगत व्यय *(उप–क्षेत्र वार)***			
सामान्य सेवाएं	56,62.86	9,74.06	66,36.92
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	68,84.67	12,98.59	81,83.26
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	58,01.07	7,38.98	65,40.05
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,92,32.82	52,17.61	2,44,50.43
सूचना एवं प्रसारण	3.44	0.54	3.98
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	74,91.56	8,22.23	83,13.79
समाज कल्याण तथा पोषण	15,12.37	35.78	15,48.15
अन्य सामाजिक सेवाएं	4,45.42	18.34	4,63.76
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	54,49.31	9,51.45	64,00.76
ग्रामीण विकास	2,43,43.51	37,82.09	2,81,25.60
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,91,17.60	1,00,15.50	8,91,33.10
ऊर्जा	3,21,09.87	4,94.58	3,26,04.45
उद्योग तथा खनिज	43,94.50	4,50.51	48,45.01
परिवहन	4,87,32.10(क)	54,70.71	5,42,02.73
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1,16.69	34.00	1,50.69
सामान्य आर्थिक सेवाएं	11,01.32	50.80	11,52.12
योग–पूंजीगत व्यय	24,23,99.11	3,03,55.77	27,27,54.88

(क) अगले पृष्ठ पर कटौती अंशदान आदि के रूप में दर्शाए गए आरक्षित निधि से ₹ 0.08 करोड़ का अंशदान शामिल है।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020–21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
पूंजीगत तथा अन्य व्यय – समाप्त			
ऋण एवं अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिये ऋण एवं अग्रिम–			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति,	2,63.40	57.52	3,20.92
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	25,67.64	6,31.31	31,98.95
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	42.57	निरंक	42.57
समाज कल्याण तथा पोषण	3.02	निरंक	3.02
अन्य (सामान्य एवं सामाजिक सेवायें)	13,08.36	27.26	13,35.62
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	24,69.13	(-) 10.06	24,59.07
ग्रामीण विकास	1.59	निरंक	1.59
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	14.78	निरंक	14.78
ऊर्जा	3,29,90.47(क)	2,15.98	3,32,06.45
उद्योग तथा खनिज	28,33.12	2,50.00	30,83.12
परिवहन	71.83	निरंक	71.83
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.09	निरंक	0.09
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	19.11	(-) 0.02	19.09
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	0.04
योग–ऋण एवं अग्रिम	4,25,85.15	11,72.00	4,37,57.15
घटाएं			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान(क)	6,47.01	14.46	6,61.47
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	0.08	निरंक	0.08
निवल – पूंजीगत तथा अन्य व्यय	28,43,37.17	3,15,13.31	31,58,50.48

(क) प्रोफार्मा सुधार के कारण ₹ 5,00.00 करोड़ से प्रारंभिक शेष को घटाया गया। यह राशि वित्त वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

(क) विनिवेश की प्राप्तियाँ/पूंजी की निवृत्ति।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020–21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
निधियों के मुख्य स्त्रोत –			
2020–21 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (–)	निरंक	(-) 1,83,56.22	निरंक
जोड़ें – निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन[क]	(-) 3,08.15	निरंक	(-) 3,22.61
ऋण –			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	15,97,92.74	4,29,26.46	20,27,19.20
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	2,10,35.97	94,86.74	3,05,22.71
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,90,33.73	8,60.35	1,98,94.08
योग–ऋण	19,98,62.44	5,32,73.55	25,31,35.99
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	5,00.00	निरंक	5,00.00
आरक्षित निधियां	1,23,16.00	44,37.30	1,67,53.30
जमा एवं अग्रिम	1,88,05.99	15,23.94	2,03,29.93
उचन्त एवं विविध (सरकारी लेखों को संवृत्त राशि तथा रोकड़ शेष निवेश लेखा तथा मध्य भारत रेलवे तथा मिलिट्री निधियों के निवेश लेखे को छोड़कर)	(-) 8,96.30	6,44.91	(-) 2,51.39
प्रेषण	21,61.37	10,03.26	31,64.63
योग–अन्य दायित्व	3,28,87.06	76,09.41	4,04,96.47
योग–ऋण तथा अन्य दायित्व	23,27,49.50	6,08,82.96	29,36,32.46
घटाएं : रोकड़ शेष	(-) 46,23.28	9,81.07	(-) 36,42.21
घटाएं : निवेश	1,16,86.35	1,00,26.53	2,17,12.88
जोड़ें – 2019–20 के दौरान सरकारी लेखों को संवृत्त राशि	निरंक	(-) 6.08	निरंक
2019–20 के लिये अन्तर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	0.23	निरंक
निधियों का निवल प्रावधान	22,53,78.28	3,15,13.29	27,52,39.18

[क] पंक्ति मद के अंतर्गत राशि विवरण को संतुलित करने के लिये शामिल की गई है।

विवरण संख्या 12 – समाप्त

2020–21 के अंत तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय एवं 2020–21 के अंत तक निधियों के मुख्य स्त्रोत के योग में अंतर को नीचे स्पष्ट किया गया है :–

(₹ करोड़ में)

प्रगामी निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	31,58,50.48
प्रगामी निधियों के मुख्य स्त्रोत	27,52,39.18
अंतर	**4,06,11.30**
संचयी राजस्व आधिक्य	4,24,60.71
सरकारी लेखों को बंद राशि	(-) 50.51
अंतर्राज्यीय परिशोधन 2001–02, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2018–19 तथा 2019–20	(-) 5.54
पूर्णांकन के कारण अंतर 2000–01	(-) 0.01
छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण 2001–02, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19	9,91.40
2006–07, 2015–16, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में विनिवेश के कारण मुख्य शीर्ष 4000–01–800 में वर्गीकृत करने के कारण पूंजीगत व्यय से प्रोफार्मा कमी की गई	(-) 64.11
ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मु.शी. 6801–190 में प्रोफार्मा कमी की गई	(-) 5,00.00
छत्तीसगढ़ को आवंटन तथा स्वीकृति में संशोधन के कारण पूंजीगत शीर्षों में कमी की गई	(-) 28,10.65
8011–105 में प्रोफार्मा कमी	2.49
8121–115 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 76.13
8121–122 में प्रोफार्मा कमी	9,98.53
8235–111 में प्रोफार्मा कमी	1,62.84
8658–112 में प्रोफार्मा कमी	3.82
8658–113 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 1.54
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-) 500.00
योग	**4,06,11.30**

13 – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे का नाम		जमा शेष
		समेकित निधि –		
23,18,04.68[क]	क से घ, छ, ज और ठ का अंश (मुख्यशीर्ष 8680 केवल)	शासकीय लेखे		
	ङ	लोक ऋण		23,32,41.91
4,37,57.15	च	ऋण तथा अग्रिम		
		आकस्मिकता निधि–		
		आकस्मिकता निधि		5,00.00
		लोक लेखा–		
	झ	लघु बचत, भविष्य निधियॉ आदि		1,98,94.09
	ञ	**आरक्षित निधियॉ–**		
		ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ		
		सकल शेष		56,84.40
		बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ		
		सकल शेष		1,10,68.91
9,24.41		निवेश		
	ट	**जमा तथा अग्रिम–**		
		(i) ब्याज वाली जमा		(-) 66.78
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा		2,04,00.20
3.48		(iii) अग्रिम		
	ठ	**उचन्त तथा विविध–**		
2,07,88.72		निवेश		
		अन्य मदें (निवल)		(-) 2,51.13
	ड	**प्रेषण**		31,64.63
(-) 36,42.21[ख]	ढ	**रोकड़ शेष**		
29,36,36.23			**योग**	29,36,36.23

[क] विवरण के लिए कृपया आगामी पृष्ठ पर पैरा एवं उसके नीचे की तालिका देखें।

[ख] विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरण पत्रक–2 के अनुलग्नक के नीचे पाद टिप्पणी (ख) देखें।

विवरण संख्या 13 – समाप्त

सरकारी लेखा :– सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अंतर्गत राजस्व, पूँजीगत शीर्षों तथा सरकार के अन्य लेन–देनों के अंतर्गत अंकित की जाने वाली राशियॉ जिनके शेष प्रतिवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते है, को 'सरकारी लेखा' नामक एकल शीर्ष को संवरित किये जाते है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होते है, वे ऐसे सभी लेन–देनों के संचयी परिणामों का प्रतिनिधित्व करते है।

लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा तथा अग्रिम, उचंत तथा विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण तथा आकस्मिकता निधि आदि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अंत में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और प्रमाणित किया जाता है।

इस सारांश के शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत आने वाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है, जिनके संबंध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिये बहियों में खोले गये लेखा शीर्ष भी सम्मिलित है।

यह भी समझ लेना चाहिये कि, ये शेष सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की समस्त भौतिक परिसंपतियों यथा–भूमि, भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं करते है, न ही कोई उपार्जित–देय राशियॉ अथवा बकाया दायित्व, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नकद आधार की लेखा विधि के अंतर्गत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2020–21 के अंत मे सरकारी लेखे के नामे निवल राशि निम्नानुसार निकाली गई है :–

(₹ करोड़ में)

नामे	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे के नाम	जमा
18,31,01.30[क]	क	1 अप्रैल, 2020 को सरकारी लेखे का नामे शेष	निरंक
निरंक	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	14,63,76.79
निरंक	ग	विविध पूंजीगत प्राप्तियॉ	14.46
16,47,33.01[ख]	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	निरंक
3,03,55.77	ङ	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	निरंक
(-) 0.25	च	अंतर्राज्यीय परिशोधन (मु.शी. 7810)	(-) 0.02
6.08	छ	उचंत तथा विविध	निरंक
निरंक	ज	आकस्मिकता निधि का अंतरण (मु.शी. 7999)	निरंक
निरंक		31 मार्च, 2021 को सरकारी लेखे के नामे शेष	23,18,04.68
37,81,95.91		**योग**	**37,81,95.91**

टीप :–

(i) कई प्रकरणों में अंतशेषों में मिलान न हो पाने वाले अंतर हैं। विसंगतियों के निपटान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) संबंधित अधिकारियों को प्रतिवर्ष उनके सत्यापन और स्वीकारोक्ति हेतु शेष संप्रेषित किये जाते हैं। अधिकतर प्रकरणों में ऐसी स्वीकारोक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

[क] मुख्यशीर्ष 6801–190–0660 के अन्तर्गत प्रोफार्मा सुधार के कारण गत वर्ष के अंतिम शेष ₹ 18,26,01.30 करोड़ (नामे) को ₹ 5,00.00 करोड़ से वृद्धि कर 01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष ₹ 18,31,01.30 करोड़ (नामे) किया गया।

[ख] ₹ 16,86,39.71 करोड़ के सकल राजस्व व्यय में से पुनर्प्राप्तियों की राशि ₹ 39,06.70 करोड़ घटाने पर यह परिणाम है।

लेखाओं पर टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश :

(i) संस्था और उससे संबंधित लेखांकन अवधि : ये लेखे 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के मध्यप्रदेश सरकार के लेन–देनों को प्रस्तुत करते हैं। सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखे, 57 कोषालय, 133 लोक निर्माण संभाग, 125 सिंचाई संभाग, 72 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, 60 ग्रामीण अभियांत्रिकी संभाग, 72 लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संभाग, 05 वेतन एवं लेखा कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं। किसी भी लेखे को वर्ष की समाप्ति पर अपवर्जित नहीं किया गया है।

(ii) लेखांकन का आधार : कुछ पुस्तकीय समायोजनों **(अनुलग्नक–क)** के अपवाद के साथ लेखा अवधि के दौरान, लेखा वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक परिसंपत्ति तथा वित्तीय परिसंपत्ति जैसे निवेश आदि, आद्य लागत अर्थात अर्जन/खरीद के वर्ष में मूल्य के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भौतिक परिसंपत्ति का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों की उनके जीवन पर्यन्त तक की हानि भी विस्तारित तथा मान्य नहीं की गई है।

लेखा अवधि के दौरान संवितरित सेवानिवृत्ति लाभ को लेखा में परिलक्षित किया गया है, लेकिन सरकार की भविष्य के पेंशन दायित्व अर्थात इनके कर्मचारियों के अतीत तथा वर्तमान सेवा के लिए सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान की देयता को लेखा में शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखा रखा गया है : मध्यप्रदेश सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा रुपये (₹) में अनुरक्षित किये जाते हैं।

(iv) लेखा का प्रारूप : संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत, संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा, जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर विहित करें। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' व्यापक अर्थों में है जिसमें न केवल विस्तारित प्रारूप जिनमें लेखे रखे जाते हैं अपितु उपयुक्त शीर्षों के चयन का आधार भी है जिनके अंतर्गत लेन–देनों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) पूंजी और राजस्व व्यय का वर्गीकरण : राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का है एवं राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों में वृद्धि करने या स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2. लेखांकन ढांचा :

(i) एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) के कार्यान्वयन की स्थिति : राज्य सरकार ने आई.एफ.एम.आई.एस. को अक्टूबर 2016 से लागू किया है। आई.एफ.एम.आई.एस. के लागू होने पर कोषालयों द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 01 अक्टूबर 2019 से भौतिक प्रमाणक नहीं भेजे जा रहे हैं एवं कोषालयों द्वारा डिजिटल डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है।

यद्यपि इन ई–प्रमाणकों एवं ई–चालानों पर कोषालय अधिकारी अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) के डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अनुसार, कोई भी ई–प्रमाणक तब तक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता जब तक कि उस पर डिजिटल हस्ताक्षर न किये गये हों। अतः इलेक्ट्रॉनिक डाटा की सुरक्षा, प्रामाणिकता एवं शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक हैं। राज्य सरकार ने दिनांक 07.10.2020 के पत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक देयक एवं इलेक्ट्रानिक चालान पर डिजिटल हस्ताक्षर अंकित करने हेतु असहमति व्यक्त की है। व्ही.एल. सी. प्रणाली को राज्य सरकार के आई.एफ.एम.आई.एस. प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना शेष है।

(ii) मासिक लेखे के समापन उपरान्त कोषालयों द्वारा लेखाओं को बंद न किया जाना : मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियम 27(2) के अनुसार – यदि महालेखाकार को लेखा भेजने के पश्चात वर्गीकरण में अथवा विभागीय तौजियों के मिलान करते समय त्रुटि पायी जाती है तो केवल ऐसे प्रकरणों में, जिनमें त्रुटियां कोषालय स्तर पर प्रविष्टि करते समय हुई हैं, तुरन्त एक टीप इस सम्बन्ध में प्रभावित बिन्दु के समक्ष दी जायेगी। कोषालय अधिकारी को किसी तरह के अंकों, लेखा शीर्षों में या अन्य कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये, बल्कि तुरन्त ही प्रारूप एम.पी.टी.सी. 78–ए पर उचित अन्तरण हेतु एक प्रार्थना–पत्र महालेखाकार को भेजे।

ऐसा प्रायः देखा गया है कि कतिपय कोषालय अधिकारियों द्वारा उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं मासिक लेखों के प्रेषण उपरांत उक्त अधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार की स्वीकृति के बिना लेखे में सुधार किया जा रहा है। मासिक लेखाओं के समापन एवं प्रधान महालेखाकार को प्रतिपादन पश्चात कोषालयों द्वारा लेखाओं को बंद ना किया जाना लेखांकन दस्तावेजों में हेर–फेर एवं लोक धन के गबन का कारण हो सकता है।

इस विषय पर दिनांक 09.07.2021 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में चर्चा हुई एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2021 के माध्यम से यह आश्वासन दिया गया कि आई.एफ.एम.आई.एस. में हर माह की 10 तारीख को मासिक लेखे की आटोमैटिक (स्वचालित) फ्रीजिंग को सक्रिय कर दिया गया है। यद्यपि यह प्रक्रिया अभी क्रियान्वित नहीं हुई है।

3. समेकित निधि :

(i) वस्तु एवं सेवा कर : वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य जी.एस.टी. संग्रहण ₹ 17,257.50 करोड़ जबकि वर्ष 2019–20 में ₹ 20,447.78 करोड़ था अर्थात वर्ष 2020–21 में गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,190.28 करोड़ (15.60 *प्रतिशत*) की कमी दर्ज की गई। इसमें ₹ 1,454.49 करोड़ का आई.जी.एस.टी. राशि का अग्रिम प्रभाजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गये शुद्ध आगम के अपने हिस्से के रूप में ₹ 13,946.58 करोड़ प्राप्त हुए। जी.एस.टी. के तहत कुल प्राप्तियां

₹ 31,204.08 करोड़ थीं। राज्य को वर्ष 2020–21 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण ₹ 5,293.23 करोड़ का मुआवजा प्राप्त हुआ।

(ii) राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण : वर्ष 2020–21 के दौरान, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व अनुभाग के बजाय पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 1,318.65 करोड़ का व्यय तथा ₹ 79.52 करोड़ का व्यय पूंजी अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। गलत वर्गीकरण की जानकारी **(अनुलग्नक–ख)** में दी गयी है। राज्य के राजस्व घाटे पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव पैरा 8 में दिया गया है।

(iii) बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य प्राप्तियों तथा व्यय का पुनर्मिलान : सभी नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान प्राप्तियां राशि ₹ 1,43,900.26 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 98 *प्रतिशत*) तथा ₹ 1,88,639.25 करोड़ की व्यय राशि (कुल व्यय का 96 *प्रतिशत*) का पुनर्मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

(iv) लघुशीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां एवं 800–अन्य व्यय के तहत प्रविष्टि : जब लेखा में उपयुक्त लघु शीर्ष की व्यवस्था नहीं की गई हो केवल तभी लघुशीर्ष 800–अन्य व्यय/800–अन्य प्राप्तियों को संचालित किया जाना है। लघुशीर्ष 800 का सामान्य संचालन निरुत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखा को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान लेखा के 69 मुख्यशीर्षों के तहत ₹ 34,251.39 करोड़ को लेखा में लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के तहत, जो कुल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (₹ 1,95,088.78 करोड़) का 17.56 *प्रतिशत* है, को दर्ज किये जाने का वर्गीकरण किया गया। लघुशीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज किए गए सारभूत व्यय (50 *प्रतिशत* तथा अधिक) का विवरण **(अनुलग्नक–ग)** में दिया गया है। सदृश रूप से, लेखा के 50 मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 7,412.29 करोड़ को लेखा में लघुशीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,46,376.79 करोड़) के 5.06 *प्रतिशत* दर्ज करने का वर्गीकरण किया गया। लघुशीर्ष 800 अन्य व्यय के तहत दर्ज किए गए सारभूत प्राप्तियों का विवरण **(अनुलग्नक–घ)** में दिया गया है।

(v) बिना सलाह के लेखा के नये उप–शीर्ष/विस्तृत शीर्ष खोलना : वर्ष 2020–21 के दौरान, मध्यप्रदेश सरकार ने महालेखाकार की सलाह के बिना, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधान के तहत अनिवार्य होता है, बजट में 13 नये उपशीर्ष (राजस्व अनुभाग के तहत 09 तथा पूंजी अनुभाग के तहत 04) खोले हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान इन शीर्षों के तहत बजट प्रावधान किया गया एवं राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 5,164.45 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के तहत ₹ 472.14 करोड़ का व्यय किया गया।

(vi) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते में निधि हस्तांतरण करना : व्यक्तिगत जमा खाते मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा तथा लघु शीर्ष 106–व्यक्तिगत जमा के तहत, राज्य के समेकित निधि में व्यय शीर्ष नामे करके तथा व्यक्तिगत जमा क्रेडिट करके, अभिहित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं। मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार, समेकित निधि को नामे कर और व्यक्तिगत जमा लेखाओं को क्रेडिट कर स्थानांतरित की गयी निधियों को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस स्थानांतरित करना चाहिए तथा कोई ऐसी सम्भाविता उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹ 551.09 करोड़ की राशि इन पी.डी. खातों में राज्य की समेकित निधि से हस्तांतिरित की गई तथा ₹ 7,010.77 करोड़ की राशि चालानों के माध्यम से क्रेडिट की गई। इनमें राज्य की समेकित निधि से मार्च 2021 में हस्तांतरित की गई ₹ 243.09 करोड़ की राशि शामिल है। यह वर्ष के दौरान राज्य की समेकित निधि से, पी.डी. खातों में कुल क्रेडिट की गयी राशि का 44.11 *प्रतिशत* है, जिसमें से मार्च के अंतिम कार्य दिवस पर कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के 359 एवं 376 नियम के संबंध में, व्यक्तिगत जमा खाते का प्रशासक, राजकोष में उपलब्ध शेष का पुनर्मिलान तथा आवश्यक सत्यापन कर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उसके पहले कोषालय अधिकारी को प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। कोषालय अधिकारी, कोषालय अभिलेख से मिलान करके उक्त प्रमाण–पत्र का सत्यापन कर प्रत्येक वर्ष 31 मई तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उक्त शेष के सत्यापन का प्रतिवेदन भेज देगा।

816 में से 71 व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासकों ने कोषालय आंकड़ों के साथ अपने शेषों का पुनर्मिलान कर सत्यापित किया तथा महालेखाकार कार्यालय को अग्रवर्ती प्रस्तुतिकरण हेतु 71 वार्षिक सत्यापन प्रमाण–पत्र कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया।

31.03.2021 तक व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष		**2020–21 वर्ष के दौरान वृद्धि**		**2020–21 वर्ष के दौरान बंद/आहरण**		**31 मार्च 2021 को अंत शेष**	
प्रशासकों की संख्या	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**
801	6,268.70	23	7,561.86	08	8,867.97	816	4,962.59

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता यह बताता है कि प्रशासक उस योजना/परियोजना का विस्तृत लेखा–जोखा रखेगा जिनके लिए व्यक्तिगत खाता खोला गया है। हालांकि, यदि कोई पी.डी. खाता तीन वर्षों की अवधि के लिए संचालित नहीं होता है तथा यह मानने का पर्याप्त कारण उपलब्ध होता है कि

ऐसे जमा खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उसे बन्द कर दिया जाएगा। ₹ 82.66 करोड़ की शेष राशि वाले 216 ऑपरेटरों के पी.डी. खाते तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रवर्तनशील पड़े हैं।

(vii) सहायता अनुदान हेतु बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) : मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 179 एवं 182 के संबंध में, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा उस प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 01 जून या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसने इसे अनुदान की प्राप्ति की तिथि से या उससे पहले उसी वस्तु पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, को स्वीकृत किया है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं करने की सीमा तक, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय लेखों में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक पहुंच गई थी और इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, मार्च 2021 तक की अवधि तक, बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) से संबंधित किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। आई.एफ.एम.आई.एस. में प्रमाणकों के समर्थन में दस्तावेज अपलोड नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण सशर्त एवं बिना शर्त अनुदानों की पहचान संभव नहीं है। अतः सभी सहायता अनुदानों को वर्ष 2019–20 में बिना शर्त वाले अनुदान के रूप में दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 में शून्य वृद्धि हुई। दिनांक 31.03.2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) की स्थिति निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

बकाया वर्ष*	बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
2018–19 तक	19586	14,135.01
2019–20	18	1,406.31
2020–21	निरंक	निरंक
योग	**19604**	**15,541.32**

बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किये जाने में मुख्यतः चूक करने वाले विभाग है – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (₹ 8,711.00 करोड़, 56.05 *प्रतिशत*), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (₹ 2,186.80 करोड़, 14.07 *प्रतिशत*), सामाजिक कल्याण एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (₹ 748.03 करोड़, 4.81 *प्रतिशत*), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (₹ 439.99 करोड़, 2.83 *प्रतिशत*)। विभागों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) के आयु विश्लेषण **(अनुलग्नक–ङ)** में दर्शाए गए हैं।

(viii) सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देनदारियां : 01 जनवरी 2005 को या उससे पहले भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष के दौरान 'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' पर व्यय ₹ 13,055.95 करोड़ था (अधिकारियों/कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय को छोड़कर)।

(ix) ब्याज समायोजन : सरकार, श्रेणी ञ–आरक्षित निधि (क–ब्याज वाली आरक्षित निधियां) एवं ट–जमा तथा अग्रिम (क–ब्याज वाली जमा) के तहत शेष से संबंधित भुगतान/ब्याज समायोजित करने के लिए उत्तरदायी है, और इस प्रयोजन के लिए लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में विशिष्ट उप–मुख्य शीर्ष प्रदान किए गए हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं एवं ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	01 अप्रैल 2020 को शेष	ब्याज के परिकलन हेतु आधार	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज
सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम	20.39	सामान्य भविष्य निधि को देय/सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज की दर के अनुसार परिकलित ब्याज (7.1%)	1.45	निरंक
राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा	9.23	6 *प्रतिशत* की दर से परिकलित ब्याज, वर्ष 2020–21 के दौरान उधारी लागत के कंजर्वेटिव प्राक्कलन पर ध्यान देते हुए	0.02	7.74
राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि	5,199.92	पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रलाय के पत्र दिनांक 16.03.2021 के अनुसार 3.4 *प्रतिशत* की दर पर निकाला गया ब्याज	176.79	0.17
		कुल	178.26	7.91
		निवल बकाया ब्याज	170.35	

ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 170.35 करोड़ से राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम करके पैरा–8 में दिखाया गया है।

(x) निवेश : वित्त लेखों के विवरण पत्रक 8 और 19 में प्रदर्शित होने वाले सरकारी निवेश की जानकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राप्त लेखों और स्वीकृतियों पर आधारित है, किन्तु संबंधित विभागों (वित्त समेत) तथा निवेशिती इकाई द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने वर्ष 2020–21 में ₹ 2,718.34 करोड़ का निवेश किया। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 39,091.86 करोड़ के सरकारी निवेश से 31 मार्च 2021 तक ₹ 288.44 करोड़ (0.74%) का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2021 तक का सरकारी निवेश का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	इकाईयों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश
सांविधिक निगम	35	10,892.35
सरकारी कंपनी	44	26,544.84
अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनी एवं भागीदारी	24	1.31
सहकारी बैंक एवं समिति	130	1,653.36
योग	**233**	**39,091.86**

(xi) सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां : मध्यप्रदेश सरकार प्रत्याभूतियां अधिनियम 2005 के अनुसार, किसी भी वर्ष के अप्रैल के पहले दिन को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियां, पूर्ववर्ती वर्ष/पिछले वर्ष की राज्य राजस्व प्राप्तियों के 80 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगी। 01 अप्रैल 2021 को ₹ 37,010.36 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियां, वर्ष 2019–20 के राज्य राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,47,643.35 करोड़) की 25.07 *प्रतिशत* है एवं निर्धारित सीमा के अंदर है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार को प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क के रूप में ₹ 26.59 करोड़ प्राप्त हुए, जो वर्ष 2020–21 के दौरान (₹ 54,464.01 करोड़) की प्रत्याभूतित राशि का 0.05 *प्रतिशत* था। मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के दिनांक 06.01.2010 की अधिसूचना के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के एवज में एकमुश्त प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क जो कि ₹ 64.54 करोड़ है की वसूली हेतु विभिन्न दरें[1] निर्दिष्ट की गयी हैं। प्रत्याभूतियों का क्षेत्रवार विवरण **(अनुलग्नक–च)** में दिया गया है।

(xii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय : राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को विशेष रूप से शामिल करती है। 'पर्यावरण', 'अपशिष्ट प्रबंधन', 'प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण', 'पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा', 'पर्यावरण संरक्षण' आदि से संबंधित बजट तथा व्यय संबंधित आंकड़े राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणकों/बजट दस्तावेजों आदि से संकलित किए जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण पर किए गए व्यय को लेखा के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक वित्त लेखे में दर्शाया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ₹ 41.37 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध अनुदान 57–पर्यावरण के मुख्यशीर्ष 2215, 2217 एवं 4217 पर ₹ 41.02 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान, किया गया व्यय ₹ 41.02 करोड़ था, जो कि राजस्व व्यय का 0.02 *प्रतिशत* है। बजट आवंटन एवं व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण **(अनुलग्नक–छ)** में दिया गया है।

(xiii) पांच वर्षों और उससे अधिक अवधि की अपूर्ण परियोजनाएं : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 5 अपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो कि पांच वर्ष और उससे अधिक समय की है। लागत में वृद्धि तथा संशोधित लागत के साथ अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **(अनुलग्नक–ज)** में दिया गया है।

(xiv) विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं को निधि का हस्तांतरण : राज्य सरकार, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में राज्य/जिला स्तर एजेंसी/स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकारियों, समितियों, गैर–सरकारी संगठनों

---

[1] 1 वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्याभूति की दर–1 प्रतिशत, 1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत, 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक–4 प्रतिशत, 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक–7.5 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक–10 प्रतिशत

को निधि प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन संस्थाओं को हस्तांतरित की गयी राशि की जानकारी प्रदान नहीं की गयी है। सरकारी लेखाओं के बाहर रखी, क्रियान्वयन संस्थाओं के लेखाओं में अव्ययित शेष की समग्र राशि आसानी से अभिनिश्चित करने योग्य नहीं है। अतः उस सीमा तक लेखे में परिलक्षित सरकारी व्यय अंतिम नहीं हैं।

(xv) केन्द्रीय ऋण को बट्टे खाते में डालना : तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 के सभी आदेशों, की श्रृंखला द्वारा केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किए गए मूलधन और ब्याज की अधिक पुनर्भुगतान को समायोजित करने और वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान के विरुद्ध इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 31 मार्च 2012 की समाप्ति तक ₹ 49.85 करोड़ (मूलधन ₹ 24.35 करोड़ एवं ब्याज ₹ 25.50 करोड़) का अधिक पुनर्भुगतान किया गया था। जिसमें से, वित्त मंत्रालय ने अभी तक ₹ 25.78 करोड़ समायोजित किए हैं।

(xvi) 2020–21 के दौरान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आर.बी.आई. से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम : मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान आर.बी.आई. से निरंक अर्थोपाय अग्रिम राशि प्राप्त की थी।

(xvii) प्रतिबद्ध देनदारियां : बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में, प्रोद्भवन आधारित लेखांकन आधार की ओर बढ़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुछ कार्रवाई करने हेतु पहल की गई है। हालांकि, जैसा कि पारगमन चरणों में होगा, लेखांकन के प्रोद्भवन आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण के रूप में अतिरिक्त जानकारी को नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी दी जानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तथा इसे परिशिष्ट–XII में दर्शाया गया है।

(xviii) ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का पुनर्गठन : योजना/गैर योजना के विलय के परिणामस्वरूप, जारी केन्द्रीय सहायता को अब केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता/शेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वर्ष 2020–21 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता/शेयर की ओर लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) में दर्शाए गए ₹ 19,293.92 करोड़ के विरुद्ध, आर.बी.आई., सी.ए.एस., नागपुर से निकासी ज्ञापन (क्लियरेंस

मेमो) तथा संबंधित मंत्रालयों से समर्थन स्वीकृति ₹ 19,266.83 करोड़ की राशि के आदेश प्राप्त हुए थे (केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण को छोड़कर)। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के तहत राज्य सरकार के लेखे में इसे उचित रूप से मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत दर्ज हुआ कुल व्यय ₹ 33,601.61 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 27,491.80 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 6,109.81 करोड़) है, जिसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता तथा राज्यांश में से व्यय भी शामिल है।

(xix) राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट से बाहर उपलब्ध कराई गई निधि) : (i) सी.जी.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा ₹ 2,169.57 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए। क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष हस्तांतरण, वर्ष 2019–20 की तुलना में 18.80 *प्रतिशत* से घटा (वर्ष 2019–20 में ₹ 2,671.99 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹ 2,169.57 करोड़)। विवरण परिशिष्ट–VI में उपलब्ध है।

(xx) ऑफ बजट देनदारियां : पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि सभी प्रतिबद्ध व्यय तथा विकासात्मक व्यय को वित्त के किसी अपारदर्शी/साधनों या ऑफ बजट का सहारा लिए बिना संवर्धित उधारी से पूरा किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा अपने बजट दस्तावेजों में ऑफ बजट का प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है।

(xxi) अनाधिकृत लेखा शीर्षों का संचालन : सरकारी लेखाकरण नियम (जी.ए.आर.) 1990 के नियम 26(घ) के अनुसार, सरकारी लेखाओं में लेखा शीर्षों का वर्गीकरण, संघ एवं राज्यों के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के अनुसार होना चाहिए।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट दस्तावेजों में अनाधिकृत उप–मुख्यशीर्षों एवं लघु शीर्षों का संचालन किया गया तथा इन लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 95.26 करोड़ का व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	अनाधिकृत उप मुख्यशीर्ष	अनाधिकृत लघु शीर्षों	राशि
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	–	104–सतर्कता	34.85
2810–नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	01–जैविक ऊर्जा	–	1.47
2810– नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	02–सौर	–	50.00
2810– नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	60–अन्य	–	8.94
		कुल	**95.26**

4. आकस्मिकता निधि : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं आकस्मिकता निधि अधिनियम 1957 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निधि की अभिरक्षा, उससे धनों

के भुगतान और उसमें से धनों के आहरण से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने हेतु मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाये गये। मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 500 करोड़ का कोष है। वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए कोई राशि शेष नहीं है। 31 मार्च 2021 को आकस्मिकता निधि में ₹ 500 करोड़ शेष है।

5. लोक लेखा :

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली : 01 जनवरी 2005 को या उसके बाद में भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.), के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के संदर्भ में, कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* योगदान करता है तथा राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* योगदान किया जाता है तथा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है। यद्यपि मध्यप्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2020 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए कर्मचारी अंशदान को बढ़ाकर 14 *प्रतिशत* कर दिया है जो कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 29.01.2019 के अनुपालन में दिनांक 01.04.2019 से लागू किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना को कुल योगदान ₹ 3,131.15 करोड़ था (कर्मचारी योगदान ₹ 1,516.40 करोड़ तथा सरकारी योगदान ₹ 1,614.75 करोड़)। सरकार ने संपूर्ण राशि को मुख्यशीर्ष 0071 के तहत लघुशीर्ष 500–'अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियों' को हस्तांतरित कर दिया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹ 3,116.94 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया गया। ₹ 14.21 करोड़ की शेष राशि एन.एस.डी.एल. में अभी भी हस्तांतरित की जानी है जिसके कारण राजस्व एवं राजकोषीय धाटा, ₹ 14.21 करोड़ से कम करके दिखाया गया है। असंग्रहित, बेमेल तथा अहस्तांतरित राशि, प्रोद्भूत ब्याज के साथ, योजना के तहत सरकार की बकाया देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

(ii) आरक्षित निधियां : आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्रक 21 तथा 22 में है। विशिष्ट प्रयोजनों हेतु उदयिष्ट 15 सक्रिय आरक्षित निधियां हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2021 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 16,742.34 करोड़ था, जिसमें से ब्याज सहित आरक्षित निधियां के तहत ₹ 5,684.40 करोड़ तथा बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के तहत ₹ 11,057.94 करोड़ था।

(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां

(क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) : राज्य आपदा मोचन निधि के गठन तथा प्रचालन पर दिशा–निर्देशों के संदर्भ में (मुख्यशीर्ष '8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत है) केन्द्र तथा राज्य सरकार को 75 : 25 के अनुपात में निधि का योगदान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के योगदान के रूप में ₹ 1,820.00 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार का योगदान वर्ष के दौरान ₹ 607.00 करोड़ है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121–122–राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत ₹ 2,427.00 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 1,820.00 करोड़ एवं ₹ 607.00 करोड़ राज्यांश) अंतरित किए गए। राज्य को केन्द्र सरकार से एन.डी.आर.एफ. की ओर से ₹ 1,891.79 करोड़ प्राप्त हुए।

निधि में योगदान, व्यय तथा शेष नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	केन्द्र द्वारा योगदान	राज्य का शेयर	एन.डी. आर.एफ. के तहत प्राप्तियां	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां	प्रदान की गई राशि (मु.शी. 2245–05)	निधि में शेष राशि	वर्ष के दौरान आर.बी.आई./ राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश
निरंक	1,820.00	607.00	1,891.79	4,318.79	3,833.39	485.40	निरंक

प्राकृतिक आपदा पर किया गया ₹ 3,833.39 करोड़ का संपूर्ण व्यय (मु.शी. 2245–05 तथा 2245–80), ₹ 4,318.79 करोड़ के निधि शेष से प्रदान किया गया। निधि के अंतर्गत पड़ा हुआ शेष 31 मार्च 2021 के अंत तक ₹ 485.40 करोड़ था।

(ख) राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. 5–1/2009–FC दिनांक 28 अप्रैल 2009 के द्वारा जारी निर्देशों एवं 2 जुलाई 2009 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारों को उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि तथा प्रतिकर वनरोपण, सहायक प्राकृतिक पुनरुत्थान, वनों के रक्षण और संरक्षण, अधोसंरचना विकास, वन्यजीव रक्षण एवं संरक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों एवं उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए एकत्र की गई राशि के उपयोग के लिए राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि कोष स्थापित करना आवश्यक है।

उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों को प्राप्त धनराशि राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमा राशियों के अंतर्गत लघुशीर्ष स्तर पर लेखे में ब्याज धारित अनुभाग के तहत 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा' में जमा किया जाना आवश्यक है। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3(4) के अनुसार, निधि के 90 *प्रतिशत* को मुख्यशीर्ष 8121–'सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां' में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए तथा शेष 10 *प्रतिशत* को वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय कोष में जमा किया जाना चाहिए। बशर्ते कि, 10 *प्रतिशत* केंद्रांश मासिक आधार पर क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में हस्तांतरित किया जा सके।

8121–'सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों' के तहत 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' एवं 8336–'सिविल जमा राशियों' के तहत 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा' के तहत उपलब्ध शेष पर ब्याज की लागू दर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार होगी।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.) में कोई राशि जमा नहीं की गयी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने कुल ब्याज ₹ 7.91 करोड़ (मु.शी. 8336–सिविल जमा के अन्तर्गत ₹ 7.74 करोड़ तथा मु.शी. 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत ₹ 0.17 करोड़) जमा किये। 31 मार्च 2021 को राज्य प्रतीकरात्मक वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.) में ₹ 5,199.00 करोड़ शेष था।

(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां :

(क) समेकित ऋण शोधन निधि : मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2020–21 में ऋण परिशोधन हेतु समेकित ऋण शोधन निधि स्थापित नहीं की है।

(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि : राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27.01.2006 के अनुपालन में, जिसमें यह अनुबंध है कि राज्य सरकार प्रारंभ में न्यूनतम ₹ 3 करोड़ का योगदान करेगा, वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। योजनानुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क के रूप में एकत्र की हुई राशि के साथ प्रत्याभूति शुल्क के बराबर की राशि का स्थानान्तरण इस निधि में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार समय–समय पर कोई भी राशि इस निधि में हस्तांतरित कर सकती है।

31 मार्च 2021 तक निधि का कुल संचय ₹ 959.49 करोड़ था। ₹ 916.77 करोड़ की राशि करोड़ आर.बी.आई. द्वारा निवेश की गई है। विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	निधि में संवर्धन (योगदान व ब्याज)		निधि में से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष 2020–21 के दौरान आर.बी. आई. द्वारा निवेश की गई राशि	31 मार्च 2021 को अंत शेष
	अपेक्षित योगदान	वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक आंकड़े				
408.79	4.06	550.70	निरंक	959.49	916.27	42.72

(ग) अप्रवर्तनशील आरक्षित निधियां : मध्यप्रदेश में कुल चार अप्रवर्तनशील आरक्षित निधियां हैं जिनका विवण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि
1.	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	103–कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	0.37
2.	8226–मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	102–सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	4.64
3.	8223–अकाल राहत निधि	101–अकाल राहत निधि	5.93
4.	8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	200–अन्य निधियां – म.प्र.आपदा राहत निधि	0.03

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेष : वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामे एवं जमा शेषों को पृथक–पृथक समेकित कर निकाला गया है। उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशियों की स्थिति **(अनुलग्नक–ञ)** में दी गयी है।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का निराकरण नहीं किये जाने से राज्य सरकार के लेखों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों तथा शेषों (जिन शेषों को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाता है) की स्थिति की शुद्धता प्रभावित होती है।

(iv) मुख्यशीर्ष 8670 चेक तथा बिल : मुख्यशीर्ष 8670 चेक और बिल के अंतर्गत जमा शेष ऐसे चेकों की ओर इंगित करता है जो जारी किये गये परन्तु भुनाये नहीं गये। 01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष ₹ 493.13 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹ 1,47,540.53 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 1,47,423.83 करोड़ का नकदीकरण किया गया, जिससे 31 मार्च 2021 तक ₹ 609.83 करोड़ (जमा) का अंत शेष रह गया। अंत शेष, विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 तक मध्यप्रदेश सरकार को कोई नकद बहिर्गमन नहीं हुआ है।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) : भारत सरकार, विशेष सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को (सी.आर.एफ.) के तहत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, मुख्य शीर्ष–1601–'सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में अनुदानों को प्रारंभ में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय मुख्यशीर्ष 3054–'सड़क एवं पुल' के माध्यम से मुख्यशीर्ष–8449–'अन्य जमा' – 103–'केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंशन' के तहत लोक लेखा को हस्तांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान प्राप्ति, लेखा में राजस्व आधिक्य को अधिक करके या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दर्शाता है। सी.आर.एफ. के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण पर व्यय प्रथमतः राजस्व व्यय अथवा पूंजीगत व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत दर्ज किया जाएगा। तत्पश्चात लोक लेखे में से उसकी प्रतिपूर्ति मु.शी.8449 के अंतर्गत एवं संबंधित मुख्यशीर्ष 5054 या 3054 जो भी संबंधित हो) में से व्यय को घटाकर की जायेगी।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार को सी.आर.एफ. के लिए ₹ 535.15 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे राज्य सरकार ने जमा शीर्ष 8449–अन्य जमा–103–केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंशन को हस्तांतरित नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.), लोक लेखे के माध्यम से संचालित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 478.91 करोड़ का व्यय लोक लेखा के माध्यम से नहीं करते हुए मुख्यशीर्ष 5054 से प्रत्यक्ष रूप से किया अतएव केन्द्र सरकार द्वारा दिये गए अनुदान में

से ₹ 56.22 करोड़ की राशि खर्च हुए बिना शेष रह गयी जिससे राजस्व एवं राजकोषीय घाटा (पैरा 8 में) को कम करके दिखाया गया।

(vi) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर : भारत सरकार ने उपकर उपार्जित तथा संग्रहीत करने हेतु 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए पारित किया। यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ–साथ अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन और उससे संबंधित नियमों को तैयार करना अनिवार्य बनाता है। तदनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने अधिनियम के तहत भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन), 2002 बनाया तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य से निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन किया है। श्रम उपकर के रूप में जमा हुई राशि के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए मण्डल उत्तरदायी होता है।

अधिनियम के अनुसार उक्त मण्डल उचित लेखा एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित किये गये प्रपत्र में एक वार्षिक लेखा तैयार करेगा। इस निधि को शासकीय लेखे से बाहर संधारित किया जाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹ 216.23 करोड़ की राशि मण्डल के खाते में ऑनलाइन सीधे जमा की गयी। 31 मार्च 2021 तक निधि में शेष राशि ₹ 3,233.73 करोड़ है।

(vii) ऊर्जा विकास उपकर : नियमानुसार गत वर्ष में संग्रहित उपकर, आगामी वर्ष की निधि में हस्तांतरित किये जाने चाहिये। वर्ष 2019–20 के दौरान ऊर्जा विकास उपकर के रूप में संग्रहीत ₹ 1,065.00 करोड़ को ऊर्जा विकास निधि में इस वर्ष हस्तांतरित किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार ने ऊर्जा विकास उपकर के रूप में ₹ 883.99 करोड़ संग्रहित किया।

(viii) प्रतिकूल शेष : वर्ष के दौरान लेखे में प्रदर्शित ऋणात्मक शेष नीचे दिये गये हैं। गलत वर्गीकरण के कारण ऋणात्मक शेष परिलक्षित हो रहे हैं, जो समीक्षा/सुधार के अधीन हैं :

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	मुख्यशीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
8342–120	विविध जमा	96.41
8443–109	वन जमा	3.60
8443–111	अन्य विभागीय जमा	3.36

(ix) नकदी शेष : महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार 31 मार्च 2021 को नकदी शेष ₹ 3,642.41 करोड़ (जमा) था तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित किया गया ₹ 3,584.24 करोड़ (नामे) था। ₹ 57.97 करोड़ (जमा) का निवल अंतर मुख्यतः एजेंसी बैंकों तथा कोषालय अधिकारियों के द्वारा लेन–देन की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के कारण है। अंतर की राशि पुनर्मिलान के अधीन है।

गत वर्षों के नकद शेष में अंतर निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नकदी शेष अंतर
2015–16	443.13 नामे
2016–17	364.93 नामे
2017–18	6.18 नामे
2018–19	1,360.71 जमा
2019–20	34.04 जमा
2020–21	57.97 जमा

6. भारत सरकार लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) के अनुसार प्रकटीकरण :

(क) आई.जी.ए.एस.1 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां : आई.जी.ए.एस.1 सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों पर क्षेत्रवार तथा वर्गवार प्रकटीकरण को वित्त लेखे में समाविष्ट किया जाना चाहिए। विवरण पत्रक 9 तथा 20, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण तथा प्रत्याभूतित राशि पर ब्याज दर्शाते हैं। यद्यपि क्षेत्रवार विवरण प्रकट किया गया है, वर्गवार विवरण राज्य के वित्त लेखे में समाविष्ट नहीं किया गया है।

आई.जी.एस.एस.1 के अनुसार तैयार हुए विवरण पत्रक 9 तथा 20 में दर्शायी गयी प्रत्याभूतियां राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर है।

(ख) आई.जी.ए.एस.2 सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण : आई.जी.ए.एस.2 के अनुसार, सहायता अनुदान से संबंधित व्यय, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए भले ही उस व्यय को परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया हो, ऐसे मामलों को छोड़कर जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान के लेखांकन एवं वर्गीकरण से संबंधित आवश्यकताएं विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट–III में दर्शायी गयी हैं जो आई.जी.ए.एस.2 की आवश्यकतानुसार तैयार किए जाते हैं। हालांकि, सहायता अनुदान के रूप में ₹ 333.00 करोड़ की राशि पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की गई, जो कि आई.जी.ए.एस.2 के प्रावधानों का उल्लंघन है। वस्तु रूप में सहायता अनुदान की विस्तृत जानकारी भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ग) आई.जी.ए.एस.3 सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम : आई.जी.ए.एस.3 के अनुसार राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम से संबंधित प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वित्त लेखे के विवरण पत्रक 7 एवं 18 आई.जी.ए.एस.3 के तहत प्रकटीकरण को समाविष्ट करते हुए तैयार किया जाते हैं। वित्त लेखे के इन विवरणों पत्रकों में सूचित किए गए ऋणों तथा अग्रिम का ब्यौरा सरकारी सेवकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखे तथा महालेखाकार को प्रस्तुत किए गए लेखों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर हैं। 31 मार्च 2021 को विवरण पत्रक 7 एवं 18 में प्रदर्शित अंतशेष ऋणी इकाईयों/राज्य

सरकार के साथ पुनर्मिलान नहीं किए गए। राज्य सरकार ने भी उन ऋण तथा अग्रिम से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे संबंधित विस्तृत लेखे राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जाते हैं।

लेखे निम्नांकित जानकारियां इंगित करते हैं :

पुराने ऋणों के संबंध में (जिससे संबंधित विस्तृत लेखे का अनुरक्षण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा किया जाता है) जिसमें 26 विभागों के अंतर्गत ₹ 582.50 करोड़ की राशि शामिल है, मूलधन तथा ब्याज की वसूली पिछले कई वर्षों के दौरान प्रभावी नहीं हुई है तथा ऐसे ऋण 10 वर्ष से अधिक समय के हैं। विभागों की सूची **(अनुलग्नक–ट)** में दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 के अंत तक दो स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू., प्राधिकारियों को समेकित रूप से ₹ 35,543.95 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए गए (₹ 465.98 करोड़, वर्ष 2020–21 के दौरान संस्वीकृत किए गए) हालांकि पिछले बकाया ऋण के संबंध में संबंधित ऋणी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। संबंधित विवरण **(अनुलग्नक–ठ)** में उपलब्ध है। 'वर्ष के दौरान दिये गए नवीन ऋण तथा अग्रिम', निरंतर ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण', 'शासन द्वारा दिये गए ऋण जिनकी अवधि एवं शर्तें अभी निश्चित होना है', शासन द्वारा वर्ष के दौरान ऋणी को दिए गए नवीन ऋण तथा अग्रिम, जिनसे पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया है' से संबंधित प्रकटीकरण राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को ऋण शेषों (जहां महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखा अनुरक्षित किया जाता है) के बारे में सत्यापन एवं स्वीकृति हेतु वार्षिक रूप से सूचना अग्रेषित की जाती है। यद्यपि किसी ऋणी ने अंतशेषों की पुष्टि नहीं की है।

शेषों के पुनर्मिलान हेतु विभागीय/कोषालय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट–VII में उपलब्ध कराया गया है।

7. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (म.प्र.रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटीकरण : मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के खण्ड–5 के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के राज्य बजट के साथ, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति एवं कार्यनीति विवरण प्रस्तुत किया गया। अधिनियम में दिये गये लक्ष्य और वर्ष 2020–21 में निष्पादन, जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है, नीचे दर्शाया गया है :

क्र.सं.	लक्ष्य	लेखे एवं जी.एस.डी.पी. के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्धियां
1.	वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व घाटा 1.85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा	वर्ष 2020–21 में मध्यप्रदेश सरकार का राजस्व घाटा ₹ 18,356.22 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत) है।
2.	वर्ष 2020–21 के दौरान राजकोषीय घाटा 4.99 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	लेखे के अनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 49,869.30 करोड़ था जो जी.एस.डी.पी. का 5.44 प्रतिशत है।
3.	वर्ष 2020–21 के दौरान जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में व्यक्त बकाया ऋण 28.83 प्रतिशत से कम होगा।	वर्ष 2020–21 में ₹ 2,84,756.31[1] करोड़ बकाया ऋण था जो जी.एस.डी.पी. का 31.03 प्रतिशत है।

[1] इस ऋण में ₹ 4,542.00 करोड़ शामिल नहीं है जो भारत सरकार के पत्र क्र. F.No.40(1)PF-S/2021-22 दिनांक 10.12.2021 के अनुसार 'जी.एस.टी.' शॉर्टफाल के बदले में बैक टू बैक ऋण के रूप में दिया गया है।

₹ 49,869.30 करोड़ के राजकोषीय घाटे को (i) आंतरिक ऋण (बाजार से उधार, वित्तीय संस्थान से ऋण आदि) ₹ 42,926.46 करोड़, (ii) केन्द्र सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम ₹ 9,486.74 करोड़, (iii) लघु बचत, भविष्य निधि आदि ₹ 860.35 करोड़, (iv) ₹ 1,523.94 करोड़ जमा और अग्रिम, (v) निरंक आकस्मिकता निधि, (vi) ₹ 3,929.32 करोड़ ऋण शोधन निधि एवं आरक्षित निधि, (vii) (–) ₹ 8,879.71 करोड़ उचंत एवं विविध, (viii) ₹ 1,003.26 करोड़ प्रेषण (ix) रोकड़ शेष ₹ (–) 981.07 करोड़ के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2020–21 के लिए मध्यप्रदेश का जी. एस.डी.पी. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार ₹ 9,17,555.09 करोड़ हैं। बकाया ऋण में सभी ऋण और देनदारियां शामिल हैं।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं नियमावली द्वारा अनुबंधित समय–सीमा में वर्ष 2020–21 हेतु बजट की प्रस्तुति के समय राज्य सरकार द्वारा विधान मंडल में लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति को प्रकट किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में,

(i) लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो निर्धारित राजकोषीय संकेतक की अनुपालना को प्रभावित करने की संभावना को प्रभावित करते हैं, और

(ii) मुख्य निर्माण एवं अनुबंधों, प्रतिबद्ध देनदारियों, निर्माण और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिलों के संबंध में दावों, परिसंपत्तियों का विवरण और सरकारी देनदारियों पर भारित औसत ब्याज दरों के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8. राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव : मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जैसा कि पूर्ववर्ती पैराओं में प्रदर्शित है, नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

(₹ करोड़ में)

पैरा सं.	मद (उदाहरण)	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
3(ii)	राजस्व और पूंजीगत के मध्य गलत वर्गीकरण	निरंक	1,239.13	निरंक	निरंक
3(ix)	आरक्षित निधियों तथा ब्याज वाली जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	निरंक	170.35	निरंक	170.35
5(i)	एन.पी.एस. के अंशदान का एन.एस.डी. एल. को कम हस्तांतरण	निरंक	14.21	निरंक	14.21
5(v)	लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि के केन्द्रीय अनुदान का गैर–हस्तांतरण	निरंक	56.22	निरंक	56.22
	योग (निवल) प्रभाव	**न्यूनोक्ति**	**1,479.91**	**न्यूनोक्ति**	**240.78**

अनुलग्नक क

(संदर्भ : कंडिका 1 की उप कंडिका (ii))

आवधिक/अन्य समायोजन का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

आवधिक समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को		
राज्य आपदा विमोचन निधि का संवर्धन	2245–प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	4,318.79	राज्य शासन से प्राप्त संस्वीकृतियों के अनुसार भारत शासन से प्राप्त सहायता अनुदान एवं राज्य शासन का हिस्सा अंतरित किया गया।
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत खर्च में कमी करने के लिए	8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2245–प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	3,833.39	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
विद्युत विकास निधि का संवर्धन	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	1,065.00	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
खदान कल्याण निधि का संवर्धन	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	719.44	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
खदान कल्याण निधि से खर्च में कमी करने के लिए	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	13.37	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
खदान कल्याण निधि से खर्च में कमी करने के लिए	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	4853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.78	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
म.प्र. शहरी परिवहन अधोसंरचना विकास निधि का संवर्धन	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	307.58	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
परिवहन अधोसंरचना विकास निधि का संवर्धन	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	683.78	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
म.प्र. स्टाम्प शुल्क प्रभार निधि का संवर्धन	2030–स्टाम्प तथा पंजीकरण	8229–विकास तथा कल्याण निधियां	600.00	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
गारंटी मोचन निधि का संवर्धन	2075–विविध सामान्य सेवाएं	8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	42.72	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
सड़क सुरक्षा निधि का संवर्धन	2055–पुलिस	8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	40.00	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
व्यक्तिगत जमा खातों (पी.डी.) को हस्तांतरण (₹ 10.00 करोड़ से अधिक)	2852–उद्योग	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	300.00	राज्य सरकार से प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर दर्ज की गई राशि
	6856–पेट्रोकेमिकल उद्योगों को ऋण	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	250.00	राज्य सरकार से प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर दर्ज की गई राशि
		योग	**550.00**	
व्यक्तिगत जमा खातों (पी.डी.) को हस्तांतरण (₹ 10.00 करोड़ से कम)	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	1.09	राज्य सरकार से प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर दर्ज की गई राशि
		योग	**551.09**	

अनुलग्नक–ख

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (ii))

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण

राजस्व व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण दर्ज की गई राशियां

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	राशि
63–मशीनरी	78.91
64–मुख्य निर्माण कार्य	0.61
योग	**79.52**

पूंजीगत व्यय के रूप त्रुटिपूर्ण दर्ज की गई राशियां

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	राशि
11– वेतन	225.60
12– मजदूरी	602.35
21– यात्रा भत्ता	1.27
22– कार्यालय व्यय	14.28
24– परीक्षा एवं प्रशिक्षण	8.07
31– व्यवसायी सेवाओं के लिए भुगतान	28.01
33– रखरखाव	71.71
35– विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार	3.29
42– सहायता अनुदान	250.27
43– अंशदान	6.10
44– राज सहायता	24.00
45– पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिये सहायता अनुदान	82.73
53– डिक्री धन का भुगतान	0.97
योग	**1,318.65**

निवल राशि : ₹ 1,239.13 करोड़

अनुलग्नक – ग

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (iv))

लघु शीर्ष 800 – अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 – अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशत
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	39.37	39.37	100.00
2852	उद्योग	307.13	307.13	100.00
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.99	9.99	100.00
4408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.20	100.00
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2.65	2.65	100.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.47	0.47	100.00
2702	लघु सिंचाई	144.56	141.29	97.74
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,174.96	1,139.61	96.99
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,360.86	7,946.68	95.05
5053	नागर विमानन एवं पूंजीगत परिव्यय	66.17	60.17	90.93
2705	कमान क्षेत्र विकास	8.58	7.64	89.04
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	5.17	4.45	86.07
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,782.09	3,190.79	84.37
4711	बाढ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	1.26	1.04	82.54
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	328.20	233.20	71.05
2217	शहरी विकास	5,588.45	3,603.74	64.49
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	4,944.37	3,105.55	62.81
2029	भू–राजस्व	2,436.27	1,490.00	61.16
2851	ग्राम और लघु उद्योग	465.19	279.39	60.06
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	137.26	78.22	56.99
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.65	4.04	52.81
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	916.58	465.89	50.83
	अन्य मुख्यशीर्ष जिनका *प्रतिशत* 50 *प्रतिशत* से कम है	1,66,361.35	12,139.88	7.30
	योग	**1,95,088.78**	**34,251.39**	**17.56**

अनुलग्नक–घ

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (iv))

लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार प्राप्तियों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
0801	विद्युत	11.35	11.35	100.00
0059	लोक निर्माण कार्य	107.97	107.82	99.86
0702	लघु सिंचाई	231.30	228.90	98.96
0220	सूचना तथा प्रचार	0.55	0.54	98.18
0852	उद्योग	0.40	0.39	97.50
0217	शहरी विकास	21.50	20.66	96.09
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	4.21	4.01	95.25
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	29.09	27.51	94.57
0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	0.06	0.05	83.33
0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,382.51	965.22	69.82
0029	भू–राजस्व	503.70	343.25	68.15
0700	मुख्य सिंचाई	41.92	24.11	57.51
0401	फसल कृषि–कर्म	32.44	18.41	56.75
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	173.18	94.73	54.70
0403	पशुपालन	2.29	1.23	53.71
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.90	2.48	50.61
	50 *प्रतिशत* से कम *प्रतिशत* वाले अन्य मुख्य शीर्ष	1,43,829.42	5,561.63	3.87
	योग	**1,46,376.79**	**7,412.29**	**5.06**

अनुलग्नक–ङ

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (vii))

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का आयु विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	मुख्यशीर्ष	वर्ष				कुल राशि	प्रतिशत
			2016–17 तक	2017–18	2018–19	2019–20		
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	3604	8,711	--	--	--	8,711.00	56.05
2.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2408	4,795.82	(-) 218.55	(-) 2,390.47	--	2,186.80	14.07
3.	सामाजिक कल्याण एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2235	748.03	--	--	--	748.03	4.81
4.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	2401	439.99	--	--	--	439.99	2.83

अनुलग्नक–च

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (xi))

प्रत्याभूति शुल्क का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	प्रत्याभूति शुल्क	
		प्राप्य	**प्राप्त**
1.	विद्युत	52.46	26.59
2.	सहकारिता	0.00	0.00
3.	वित्त	1.50	0.00
4.	नगरीय विकास एवं आवास	10.45	0.00
5.	अन्य	0.13	0.00
	योग	**64.54**	**26.59**

अनुलग्नक–छ

(संदर्भ : कंडिका 3(xii))

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर व्यय

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्यशीर्ष	उप मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	2020–21 के दौरान किया गया व्यय	बजट प्रावधान	खर्च का बजट प्रावधान से प्रतिशत
1.	2215	02	106	6.00	6.30	95
2.	2215	02	800	1.35	1.35	100
3.	2217	05	191	33.45	33.45	100
4.	4217	01	051	0.22	0.27	81
			योग	**41.02**	**41.37**	**99**

अनुलग्नक–ज

(संदर्भ : कंडिका 3 (xiii))

पांच वर्ष और ज्यादा अवधि से अपूर्ण परियोनाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	संशोधित लागत	लागत में वृद्धि
जल संसाधन विभाग				
1.	बांणसागर परियोजना, शहडोल के अंतर्गत, मझगवाँ शाखा नहर/रीवा जिले का निर्माण कार्य	135.84	--	--
2.	ओंकारेश्वर नहर परियोजना, तृतीय चरण आर.डी. 68.62 से 162.95 कि.मी., मनावर	310.20	--	--
3.	ओंकारेश्वर नहर परियोजना, चतुर्थ चरण संख्या आर.डी. 51.281 से 123.475 कि.मी., मनावर	349.30	--	--
4.	बरगी डायवर्जन (पथांतरण) परियोजना, कटनी	799.00	--	--
5.	मुख्य नहर बरगी डायवर्जन (पथांतरण) परियोजना, सतना के शाखा नहर नागौद (सतना) आर.डी. 55.60 से 83.00 कि.मी. के टर्नकी आधार पर सम्पूर्ण वितरण प्रणाली सहित निर्माण कार्य	126.00	--	--

अनुलग्नक–झ

(संदर्भ : कंडिका 5(iii))

उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य / लघु शीर्ष	2018-19		2019-20		2020-21	
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
8658– उचंत लेखा						
101– वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	118.53	112.16	47.70	48.60	93.49	394.24
निवल	**जमा 6.37**		**नामे 0.90**		**नामे 300.75**	
102–उचंत लेखा (सिविल)	0.64	0.83	0.01	0.19	0.01	0.19
निवल	**नामे 0.19**		**नामे 0.18**		**नामे 0.18**	
107– नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	28.05	141.60	28.05	141.60	28.05	141.60
निवल	**नामे 113.55**		**नामे 113.55**		**नामे 113.55**	
110– रिजर्व बैंक उचंत – केन्द्रीय लेखा कार्यालय	13.87	719.31	3.82	1,810.57	4.59	1,365.14
निवल	**नामे 705.44**		**नामे 1,806.75**		**नामे 1,360.55**	
112–स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	401.51	निरंक	177.45	निरंक	233.26	(-) 297.06
निवल	**जमा 401.51**		**जमा 177.45**		**जमा 530.32**	
113– भविष्य निधि उचंत	निरंक	14.56	निरंक	14.55	निरंक	12.40
निवल	**नामे 14.56**		**नामे 14.55**		**नामे 12.40**	
123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	13.22	2.70	13.88	3.06	14.57	3.69
निवल	**जमा 10.52**		**जमा 10.82**		**जमा 10.88**	
129– सामग्री क्रय परि– निर्धारण उचंत लेखे	223.11	36.10	223.11	36.10	223.11	36.10
निवल	**जमा 187.01**		**जमा 187.01**		**जमा 187.01**	
139–जी.एस.टी.–स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	निरंक	निरंक	96.16	77.21	394.91	341.66
निवल	**निरंक**		**जमा 18.95**		**जमा 53.25**	
8782–नकद प्रेषण –						
102–लोक निर्माण प्रेषण	1,24,873.37	1,21,170.94	1,42,048.94	1,38,040.17	1,57,465.68	1,52,426.98
निवल	**जमा 3,702.43**		**जमा 4,008.77**		**जमा 5,038.70**	
103–वन प्रेषण	4,605.34	4,483.09	4,607.38	4,492.03	4,572.31	4,499.40
निवल	**जमा 122.26**		**जमा 115.35**		**जमा 72.91**	
110– विविध प्रेषण	7,109.51	8,046.85	7,287.74	8,554.27	7,417.03	8,708.39
निवल	**नामे 937.34**		**नामे 1,266.53**		**नामे 1,291.36**	

अनुलग्नक–ञ

(संदर्भ : कंडिका 6(ग))

दस वर्ष या इससे अधिक की अवधि के ऋणों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	मु.शी.	01 अप्रैल 2010 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2021 को शेष
1.	शिक्षा	6202	1.06	--	--	--	1.06
2.	स्वास्थ्य	6210	0.08	--	--	--	0.08
3.	जलपूर्ति तथा सफाई	6215	30.27	--	--	--	30.27
4.	आवास	6216	12.40	--	--	--	12.40
5.	शहरी विकास	6217	220.53	--	--	--	220.53
6.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	6225	7.28	--	--	--	7.28
7.	सामाजिक सुरक्षा	6235	2.56	--	--	--	2.56
8.	अन्य सामाजिक सुरक्षा	6250	0.36	--	--	--	0.36
9.	फसल कृषि कर्म	6401	22.07	--	--	--	22.07
10.	मृदा तथा जल संरक्षण	6402	12.49	--	--	--	12.49
11.	पशुपालन	6403	20.31	--	--	--	20.31
12.	डेयरी विकास	6404	0.20	--	--	--	0.20
13.	मछली पालन	6405	0.00	--	--	--	0.00
14.	वानिकी तथा वन्य जीवन	6406	1.96	--	--	--	1.96
15.	खाद्य भण्डारण तथा भंडागार	6408	11.97	--	--	--	11.97
16.	सहकारिता	6425	59.17	--	--	--	59.17
17.	अन्य कृषि कार्यक्रम	6435	0.08	--	--	--	0.08
18.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	6515	1.28	--	--	--	1.28
19.	सिंचाई	6702	0.32	--	--	--	0.32
20.	सिंचाई (बाढ़ नियंत्रण)	6711	10.49	--	--	--	10.49
21.	ग्राम तथा लघु उद्योग	6851	0.57	--	--	--	0.57
22.	उपभोक्ता उद्योग	6860	106.74	--	--	--	106.74
23.	उद्योग तथा खनिज	6885	5.44	--	--	--	5.44
24.	नागर विमानन	7053	0.01	--	--	--	0.01
25.	परिवहन	7075	54.82	--	--	--	54.82
26.	वित्त	7615	0.04	--	--	--	0.04
		योग	582.50	--	--	--	582.50

अनुलग्नक–ट

(संदर्भ : कंडिका 6(ग)–आई.जी.ए.एस.)

स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू./प्राधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण

(₹ करोड़ में)

विभाग	मुख्यशीर्ष	01 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2021 को शेष
ऊर्जा	6801	32,990.46	215.98	--	33,206.44
उद्योग	6856	2,087.50	250.00	--	2,337.50
		योग	465.98	--	35,543.94

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in